स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–24, अंक–9

भाद्रपद–अश्विन 2073, सितंबर 2016

संपादक

अजेय भारती

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा 4

समाचार परिक्रमा 34-37

कवर तृतीय पेज **39**

कवर चतुर्थ पेज **40**

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–6

आयात के भरोसे खाद्य तेल संकट से मुक्ति असंभव

डॉ. देविन्दर शर्मा

1 कवर पेज

2 कवर द्वितीय पेज

08 मुद्रा नीति
रिजर्व बैंक की ब्याज रहित बैंकों की अनुशंसा की वैधानिकता
.... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

12 मुद्दा
विफल होता भूमंडलीकरण
.... डॉ. अश्वनी महाजन

14 स्वास्थ्य
ड्रग मार्केट में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने की आवश्यकता
.... डॉ. भरत झुनझुनवाला

16 विचार
आर्थिक सुधारों की ओर एक कदम–वस्तु व सेवा कर (जीएसटी)
.... डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

18 ज्वलंत मुद्दा
नशामुक्त समाज कैसे?
.... रेणु पुराणिक

20 स्वदेशी-विदेशी वस्तुओं की सूचि

22 शिक्षा
शिक्षाः दिशा एवं दशा
.... डॉ. राजीव कुमार

24 आयुर्वेद
त्यौहारों का स्वास्थ्य रक्षण में महत्त्व
.... वैद्या हेतल एस. दवे

26 पर्यावरण
पृथ्वी के जीवन के लिए जरूरी है ओजोन की रक्षा
.... ज्ञानेन्द्र रावत

26 रपट
केंद्रीय कार्यसमिति बैठक, नई दिल्ली
.... स्वदेशी संवाद

31 व्हाटसएप
जीवनोपयोगी बातें

पाठकनामा

स्वदेशी पत्रिका प्रेरणा का स्रोत

स्वदेशी संदेश को जन–जन तक पहुंचाने में स्वदेशी पत्रिका की महती भूमिका है। मैं कई वर्षों से लगातार स्वदेशी पत्रिका से प्रेरणा लेकर स्वदेशी–विदेशी वस्तुओं की सूची वाला कर–पत्रक हजारों की संख्या में स्वदेशी सप्ताह (25 सितंबर से 2 अक्टूबर) के समय वितरित कर रहा हूं। इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह प्रयास सहर्ष आगे भी जारी रहेगा। मैं स्वदेशी पत्रिका का नियमित पाठक हूं और दूसरों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करता हूं। इसमें प्रकाशित लेख सामग्री समाज को जागरूक एवं दिशा प्रदान करती है। स्वदेशी पत्रिका समाज में एक नई पहचान बना चुकी है।

राजेन्द्र सिंह ठाकुर, *दतिया, म.प्र.*

*****

आयुर्वेद चिकित्सा–निरोगी जीवन

स्वदेशी पत्रिका का अगस्त 2016 अंक हाथ में है। आवरण पृष्ठ देखकर बहुत अच्छा लगा। डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा लिखी आवरण कथा 'एफडीआई है खतरनाक' पढ़कर एफडीआई के पीछे छिपे वास्तविक सच का ज्ञान हुआ। स्वदेशी जागरण मंच का एफडीआई के खिलाफ जनजागरण अभियान जनता को जागरूक कर रहा है तथा इससे उत्पन्न खतरों के प्रति सजग कर रहा है।

वैसे तो स्वदेशी पत्रिका में उपस्थित सभी सामग्री उपयोगी एवं ज्ञानवर्द्धक होती है। मुझे विशेषकर आयुर्वेद विषय पर प्रकाशित श्रृंखला में अगस्त 2016 में वैद्या हेतल एस.दवे का 'अमृतं वै आपः'–अमृत देने वाला जल' काफी अच्छा लगा। अगर हम अपने जीवन में जल की उपयोगिता को समझते हुए जल को औषधी के रूप में प्रयोग करे तो हम निरोगी एवं दीर्घायु हो सकते है।

मैं स्वदेशी पत्रिका विभाग से आग्रह/निवेदन करता हूं कि हो सके तो वैद्या हेतल जी का संपर्क सूत्र एवं ईमेल स्वदेशी पत्रिका में प्रकाशित करें। जिससे आयुर्वेद की जानकारी लेने के लिए उनसे संपर्क करने में सुविधा हो सके।

महेन्द्र सिंह, *भोपाल, म.प्र.*

*****

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

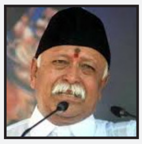

दुनिया विविधता से भरी हुई है, इसलिए सभी प्रकार की संस्कति को सम्मान मिलना चाहिए, ताकि पूरा विश्व विकसित हो।

मोहन भागवत

सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

भारत वद्धिशील प्रगति के स्थान पर संपूर्ण और तीव्र गति से परिवर्तन चाहता है।

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री

राज्य राष्ट्र नहीं, व्यक्ति की आत्मा जैसे राष्ट्र की भी आत्मा होती है, जिसे चिति कहते है।

दीनदयाल उपाध्याय

जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाना हमेशा अच्छा होता है, असल बात पहले उसे पहचानना है।

मुकेश अंबाना

आरआईएल चेयरमैन

सं
पा
द
की
य

वादा मुफ्त का, चाल बाजार पर कब्जे की

1 सितंबर 2016 को रिलायंस की एजीएम मीटिंग में जियो सेवा की लांचिंग की घोषणा करते हुए मुकेश अंबानी ने यह महसूस कराने की सफल कोशिश की कि यदि रिलायंस जियो की सेवा नहीं लेते तो कुछ न कुछ खो रहे हैं। फिर तो पूरे देश में जियो–जियो की धूम मच गई। मुफ्त की सिम की कालाबाजारी होने लगी। लोग रिलायंस जियो के लिए ऐसे लाइन में खड़े हो रहे हैं जैसे सत्तर के दशक में राशन के अनाज के लिए लोग खड़े होते थे। क्या है यह रिलायंस जियो? और क्यों लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं?– दरअसल देश की 65 फीसदी आबादी मोबाइल लोक में समा चुकी है। यो तो 4जी की सुविधा लगभग सभी टेलीकॉम ऑपरेटर उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इसका उपभोग करने की लालसा व अनिवार्यता रिलायंस ने ही पैदा की है। रिलायंस जियो प्रीपेड वालों के लिए 19 रुपये, 129 रुपये और 299 रुपये में 4जी की उड़ान उपलब्ध करा रहा है। लोकल व एसटीडी की मुफ्त कॉल के साथ एक निश्चित संख्या तक एसएमएस भी फ्री देने का वायदा कर रहा है। पोस्ट पेड वाले उपभोक्ताओं को 50 रुपये प्रति 1जीबी डॉटा के साथ–साथ बिल को ऑटो क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जोड़ने वालों को 15 फीसदी की अतिरिक्त छूट देने का भी वायदा किया जा रहा है। भले ही प्रीपेड सेवा 19, 129 या 299 रुपये में उपलब्ध है लेकिन इनकी वैद्यता भी इसी प्रकार की है। 19 रुपये वाली प्रीपेड सुविधा एक दिन के लिए, 129 रुपये वाली एक सप्ताह के लिए और 299 रुपये वाली 15 दिल के लिए है। यानी रिलायंस जियो कम से कम 20 रुपये तो इस 4जी के लिए लेगा ही। इसी तरह 50 रुपये प्रति जीबी का ऑपश्न तभी तक है जब तक कि आप एक जीबी से कम का उपयोग करें अन्यथा एक जीबी से ज्यादा उपयोग होते ही यह चार्ज 250 रुपये प्रति जीबी की दर से लागू हो जाएगा। यदि पोस्ट पेड वाले अपने डॉटा पैक को बिल साइकल से पहले खत्म कर लेते हैं तो उन्हें फिर 4जी की स्पीड नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें सिर्फ 128 केबीपीएस की ही स्पीड मिलेगी जिससे कुछ भी नहीं चल पाएगा। भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। भारत वर्ष 2000 से वर्ष 2015 तक इस क्षेत्र में 20 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त कर चुका है। ऐसे में बाजार में जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा होना लाजिमी है। आकलन है कि वर्ष 2020 तक भारत का टेलीकॉम बाजार 100 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। मौजूदा समय में भी 30 अरब डॉलर से अधिक का कारोबार इस क्षेत्र में हो रहा है। भारत मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले देशों में भी अब दूसरे नंबर पर है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी टीआरएआई के अनुसार देश में मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 100 करोड़ को पार कर चुकी है। स्मार्टफोन का बाजार चकाचक हो चुका है। अनुमान है कि अगले दो तीन साल में ही देश में स्मार्ट फोन की संख्या 80 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाएगी। जबकि स्मार्ट फोन की ट्रैफिक में पांच गुना बढ़ोत्तरी की संभावना है। कहा तो यह जा रहा है कि जल्दी ही ऐसी स्थिति आ जाएगी जब हर तीन मोबाइल फोन में से दो फोन स्मार्ट फोन ही होगा। बात 4जी की। 4जी यानी फोर्थ जेनरेशन– अर्थात ज्यादा स्पीड, ज्यादा फन, ज्यादा उपयोग और ज्यादा खर्च। इन सबका ज्यादा का मतलब है, ज्यादा बिजनेस। वर्ष 2015 के अंत तक 4जी कनेक्टेड उपभोक्ताओं की संख्या लगभग डेढ़ करोड़ के आस पास थी। अनुमान है कि 2017 के खत्म होते–होते ही 4जी वाले उपभोक्ताओं की संख्या 25 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यही नहीं डाटा सर्विस पर भारत के लोग 20 अरब डॉलर से अधिक खर्च करने वाले होंगे। यहां हम अमरीका को भी मात देने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 70 करोड़ से अधिक हो जाएगी। जाहिर है कि बाजार पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है। रिलायंस टैलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टेक हॉल्डर बनना चाहता है। फ्री का ऑफर तो सिर्फ लोगों को अपने जाल में फंसाना है।

आयात के भरोसे खाद्य तेल संकट से मुक्ति असंभव

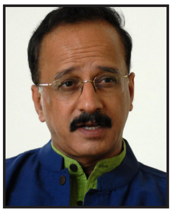

किसानों के बाहर होते ही प्रोसेसिंग उद्योग को भी अपना काम बंद करना पड़ा। आज भारत अपनी आवश्यकता का 67 फीसदी से भी अधिक खाद्य तेल का आयात करता है, जिस पर 66,000 करोड़ रुपए की जबर्दस्त लागत आती है।
– देविंदर शर्मा

तीस साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक कार्यक्रम की नींव रखी थी, जिसे बाद में पीली क्रांति कहा गया। 1986 में उन्होंने जो ऑयल सीड्स टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किया था उसने भारत को खाद्य तेल के मामले में बड़े आयातक से 1993–94 तक यानी दस से भी कम वर्षों में लगभग आत्म–निर्भर बना दिया था। बेशक, यह उल्लेखनीय उपलब्धि थी। उसके बाद पतन शुरू हुआ। भारत बड़ी खुशी से विश्व व्यापार संगठन के आगे झुक गया और अपनी पीली क्रांति को खत्म कर दिया। यह इस तथ्य का क्लासिक उदाहरण है कि उम्मीदें जगाने वाला घरेलू खाद्य तेल का क्षेत्र आर्थिक उदारीकरण की बलिवेदी पर किस तरह चढ़ाया गया। आयात शुल्कों में व्यापक कटौती से सस्ते आयात की बाढ़ आ गई, जिससे किसान तिलहनों की खेती छोड़ने पर मजबूर हो गए। 300 प्रतिशत के बाध्यकारी स्तर से आयात शुल्क चरणबद्ध तरीके से घटाकर लगभग शून्य कर दिया गया। किसानों के बाहर होते ही प्रोसेसिंग उद्योग को भी अपना काम बंद करना पड़ा। आज भारत अपनी आवश्यकता का 67 फीसदी से भी अधिक खाद्य तेल का आयात करता है, जिस पर 66,000 करोड़ रुपए की जबर्दस्त लागत आती है।

ऐसे में जब पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने हाल ही में कहा कि भारत खाद्य तेल के विशाल आयात बिल में कटौती चाहता है, तो वाकई इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने भी कई मौकों पर खाद्य तेल आयात पर निर्भरता घटाने पर जोर दिया है। किसी भी शिक्षित और विचारशील नागरिक से पूछें तो वह भी आयात घटाकर अपने किसानों की मदद करने की बात कहेगा। किंतु मैंने सोचा था कि मंत्रीगण कम से कम यह तो जानते होंगे कि भारत वास्तव में खाद्य तेल के मामले में आत्म–निर्भर था और त्रुटिपूर्ण

व्यापार नीतियों के कारण देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश बन गया।

जब मैंने भारतीय खाद्य निगम के विभाजन पर गठित उच्चस्तरीय शांता कुमार समिति के सामने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया कि कैसे व्यापारिक उदारीकरण ने तिलहन क्रांति को नष्ट किया तो उनका रवैया बहुत समझदारीभरा था। उनकी सिफारिशों में घरेलू उत्पादन को सस्ते आयात से बचाने के लिए व्यापार नीतियों की समीक्षा भी शामिल थी। मेरी कामना है कि दोनों, राधामोहन सिंह और अनिल दवे ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के नाम पर विवादास्पद आनुवांशिक रूप से बदली हुई सरसों (जीएम मस्टर्ड) के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने पर जोर देने की बजाय घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए आयात शुल्क बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया होता। साफ बात है कि तिलहन उत्पादन में कमी के कारण देश ने 2015 में 66,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात नहीं किया बल्कि इसलिए किया, क्योंकि हम आयात को प्रोत्साहन देना चाहते थे। यह सही है कि अंतर–मंत्रालयीन नोडल एजेंसी, जिसकी अनुमति आवश्यक है उस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रायजल कमेटी (जीईएसी) की उपसमिति ने सरसों की तीन जीएम (डीएमएच–11 सहित) किस्मों को 'सुरक्षित' बताकर हरी झंडी दे दी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सेफ्टी डेटा छिपाकर रखा गया है। इसी कारण केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जीईएसी को सेफ्टी डेटा सार्वजनिक करने को कहा है। मुझे खुशी है कि अनिल दवे ने डेटा जीईएसी की वेबसाइट पर जाहिर करने और लोगों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करने का वादा किया है। लेकिन यह जानकर मुझे धक्का लगा कि जीईएसी सदस्य इस तथ्य से जरा भी विचलित नहीं हैं कि

2015 में फसल के सफेद मक्खी (व्हाइट फ्लाई) का शिकार होने और बॉलवर्म से संक्रमित होने की प्रवृत्ति के चलते कॉटन के किसान थोक में बीटी कॉटन से दूर हो गए।

जीएम मस्टर्ड रासायनिक तृणनाशक (हर्बीसाइड) के उपयोग को बढ़ावा देगी। वास्तविकता तो यह है कि जीएम मस्टर्ड में ऐसे जीन्स हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी बायर द्वारा बेचे जाने वाले हर्बीसाइड के अनुकूल हैं।

यहां तक कि बीटी कॉटन के कारण भी रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च (सीआईसीआर) के मुताबिक 2005 में 649 करोड़ रुपए के रासायनिक कीटनाशक भारत में इस्तेमाल हुए। जब 2010 में कॉटन का 92 फीसदी क्षेत्र बीटी कॉटन किस्मों के तहत आ गया तो कीटनाशकों का उपयोग 880.40 करोड़ रुपए हो गया। चीन में बीटी कॉटन के किसान तो कीटों पर काबू पाने के लिए 20 गुना अधिक रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीएम किस्मों के मामले में हाल ही में अर्जेंटीना को पीछे छोड़ने वाले ब्राजील में पिछले एक दशक में कीटनाशकों का प्रयोग 190 फीसदी बढ़ा है। 2015 में फसल के सफेद मक्खी (व्हाइट फ्लाई) का शिकार होने और बॉलवर्म से संक्रमित होने की प्रवृत्ति के चलते कॉटन के किसान थोक में बीटी कॉटन से दूर हो गए हैं तो मैंने सोचा कि पर्यावरण मंत्रालय ने सबक सीखा होगा। कोई वजह नहीं है कि सफेद मक्खी के प्रकोप से हुए विनाश और पंजाब में 300 किसानों की आत्महत्या के लिए जीएम शीड कंपनियों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। क्या भारत में जिंदगी इतनी सस्ती है कि कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय कॉटन बेल्ट में आत्महत्याओं पर चुप्पी साध ले?

जीएम मुक्त भारत गठबंधन के बैनर तले विभिन्न समूहों ने जीएम मस्टर्ड से 26 फीसदी उत्पादन बढ़ने के दावों को खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि जीएम मस्टर्ड की तुलना कुछ बेकार किस्मों से करके फर्जी डेटा दिया गया है। फिर बाजार में मौजूद कुछ संकर किस्मों की तुलना में उत्पादन वृद्धि भी नगण्य ही है। जब 2002 में जीईएसी ने बायर की सहयोगी कंपनी प्रो–एग्रो की सरसों की किस्म खारिज कर दी थी, तब भी ऐसे ही दावे किए गए थे। सरसों तेल का कुल खपत में हिस्सा मात्र 10 फीसदी है। ऐसे में खाद्य तेलों में आयात शुल्क बढ़ाकर किसानों को अधिक समर्थन मूल्य देने पर जोर होना चाहिए। विवादास्पद जीएम किस्म थोपने के लिए दलील देना बंद किया जाए। यदि आपने बाबा रामदेव को विज्ञापन में कहते हुए सुना हो कि सरसों का जो तेल हम खरीदते हैं वह ज्यादातर मिलावटी होता है तो इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कृषि और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण से मिलाकर सरसों के तेल के बाजार की सफाई करनी चाहिए। यही तो उपभोक्ता चाहता है। ❑❑

रिजर्व बैंक की ब्याज रहित बैंकों की अनुशंसा की वैधानिकता

*भारत जैसे पंथ निरपेक्ष देश में संप्रदाय विशेष के पांथिक कानून पर आधारित वित्तीय व्यवहारों की अनुशंसा करना सर्वथा असंवैधानिक एवं केंद्रीय बैंक के विधिक अधिकारों से परे है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की प्रस्तावना में रिजर्व बैंक के जो मूल कार्य परिभाषित किये हैं उनमें कहीं भी सांप्रदायिक आधार पर ब्याज रहित इस्लामिक बैंकों की स्थापना व उनके संचालन कार्य को कोई स्थान नहीं दिया गया है। – **प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा***

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने हाल ही में जारी 2015–16 के वार्षिक प्रतिवेदन में देश में इस्लामी शरिया आधारित ब्याज मुक्त बैंकिंग कानून प्रारंभ करने की जो अनुशंसा की गयी है, वह उसके क्षेत्राधिकार में ही नहीं है। भारत जैसे पंथ निरपेक्ष देश में संप्रदाय विशेष के पांथिक कानून पर आधारित वित्तीय व्यवहारों की अनुशंसा करना सर्वथा असंवैधानिक एवं केंद्रीय बैंक के विधिक अधिकारों से परे है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की प्रस्तावना में रिजर्व बैंक के जो मूल कार्य परिभाषित किये हैं उनमें कहीं भी सांप्रदायिक आधार पर ब्याज रहित इस्लामिक बैंकों की स्थापना व उनके संचालन कार्य को कोई स्थान नहीं दिया गया है। रिजर्व बैंक के ये वैधानिक कार्य हैं – मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यांवयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, सरकार के बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में काम करना, साख नियंत्रित करना और मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना।

अपने इन उपरोक्त विधिक कार्यों की सीमा से परे जाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015–16 के अपने वार्षिक प्रतिवेदन में तो यह कह दिया कि भारतीय समाज का एक वर्ग धार्मिक कारणों से देश के वित्तीय तंत्र से अलग है, जो बैंकों के ब्याज सुविधा वाले उत्पादों का लाभ नहीं उठाता है। देश के बैंकिंग तंत्र से अलग रह गए इस वर्ग (अर्थात मुस्लिम समुदाय) को इसमें शामिल करने के लिए सरकार के साथ विचार विमर्श कर देश में ब्याज

मुक्त बैंकिंग उत्पाद पेश करने के तौर तरीकों को तलाशने का प्रस्ताव रिजर्व बैंक ने अपने ताजा वार्षिक प्रतिवेदन में किया है। इस्लामिक, यानी शरिया कानून आधारित बैंकिंग एक ऐसी वित्तीय प्रणाली है, जो कि ब्याज की कमाई नहीं लेने के सिद्धांत पर आधारित है। इस्लाम में ब्याज की कमाई लेने पर प्रतिबंध है। लेकिन रिजर्व बैंक का यह वक्तव्य ही सर्वथा तथ्यहीन व शरारतपूर्ण प्रतीत होता है कि देश का मुस्लिम समाज बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है। वस्तुतः आज देश के राष्ट्रीकृत बैंकों में 12 प्रतिशत बैंक खाते इस्लाम मतावलंबियों के हैं जो देश की कुल वयस्क जनसंख्या में उनके अनुपात के निकट ही है। इसलिये रिजर्व बैंक का यह तर्क कि इसका (ब्याज रहित बैंकिंग का) उद्देश्य जनसंख्या के एक वर्ग के वित्तीय समावेशीकरण हेतु किया जा रहा है, लगभग निराधार है।

एक पंथ निरपेक्ष देश में शरिया के सांप्रदायिक प्रावधानों को वित्तीय लेन देन में शासकीय और वैधानिक आधार प्रदान करना, कहां तक उचित होगा? क्या रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार के विषय में ऐसी कोई राजनीतिक पहल करनी भी चाहिए। इसके पूर्व 2015 में भी दीपक मोहंती की अध्यक्षता में बनी समिति ने वित्तीय समावेशीकरण (फाइनेन्शियल इन्क्लूजन) के नाम पर देश के सभी बैंकों में 'ब्याज मुक्त पटल' अर्थात 'इन्टरेस्ट फ्री विंडोज' खोलने का सुझाव दे दिया था। इसके लिये समिति ने देश के बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन तक की बात कह दी थी। किसी भी अधिनियम में संशोधन संसद के विवेकाधीन होता है। रिजर्व बैंक क्षेत्राधिकार में यह विषय नहीं आता है। इस्लामिक बैंकिंग की चार मुख्य विशेषताएं है– रीबा, हराम/हलाल, धरारर/मयसर और ज़कात। ज़कात अर्थात दान–पुण्य, और शरीया के अनुसार गैर मुस्लिम अर्थात काफिर ज़कात के अधिकारी ही नहीं है। क्या पंथ निरपेक्ष भारत में यह उचित है। शरीया के आधार पर समाज जीवन के संचालन की मानसिकता के कारण ही द्विराष्ट्रवाद व देश का विभाजन हुआ है।

इस वर्ष के प्रारंभ में जेद्दा स्थित 56 इस्लामी देशों के स्वामित्व वाले इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक (आईडीबी) ने भी अपनी पहली शाखा अहमदाबाद में खोलने की घोषणा की थी। वर्तमान में प्रचलित बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस्लामिक बैंकों के क्रियाकिलाप ही सर्वथा अवैधानिक है। इसलिये इस अधिनियम के प्रावधानों को निष्फल करने के लिये यह विदेशी बैंक अपनी शाखा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में इस शाखा को प्रारंभ करेगा।

इस्लामी शरीया कानून के अनुसार तो ब्याज का लेन देन ही हराम है। ऐसे में भारत में बैंकों के लिये विधिक तरलता हेतु अपनी कुल जमा राशि का जो 21 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में जमा रखना होता है और जिस पर उन्हें ब्याज मिलता है, यह इस्लामी शरीया कानून के अनुसार हराम होगा। इसी प्रकार ऋणों पर ब्याज लेना भी इस्लामी शरीया कानून में हराम होने से इस्लामी बैंक ऋण लेने वाली से भी ब्याज लेने के स्थान पर उसके कारोबार में भागीदार बनकर उसके लाभ में हिस्सा लेते हैं अथवा ऋणग्रहिता को कोई सम्पत्ति खरीदने हेतु दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज लेने के स्थान पर उस सम्पत्ति का मूल्य चुकाकर बैंक उसे अपने नाम करा लेते हैं और उसमें अपना लाभ जोड़ कर उस पर प्रचुर लाभ युक्त लीज की किश्तें तय कर देते हैं। ऋणग्रहीता द्वारा ऋणों के प्रति लाभ सहित उस ऋण की सारी किश्तें चुका देने पर ही उस संपदा को बैंक उस ग्राहक के नाम कर देते हैं। उदाहरणतः यदि 'क' नामक व्यक्ति 'प' नामक व्यक्ति से 50 लाख रूपये में मकान खरीदने के लिये इस्लामी बैंक से 40 लाख रूपये का ऋण लेता है। ऐसे में 'प' को 40 लाख रूपये चुकाने के लिये इस्लामी बैंक 'क' को ऋण तो देगा। लेकिन, वह इस्लामी बैंक उस मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करा कर 'क' को वह मकान रहने के लिये ब्याज के स्थान पर अपने ब्याज के समतुल्य लाभ को जोड़कर मासिक किश्तों पर लीज पर दे देता है। यथा यदि वह बैंक 10 वर्ष की 50,000 रूपये की 120 मासिक किश्तों की राशि तय कर देता है तो ऐसे में इस्लामी बैंक को 10 वर्षों में 40 लाख रूपये के ऋण के बदले में 10 वर्ष में किश्तों की अदायगी के रूप में वापस 60 लाख रूपया मिल जायेगा। अपने 40 लाख रूपये के ऋण के बदले में 10 वर्षों में 60 लाख की वसूली के बाद वह इस्लामिक बैंक उस मकान का हस्तांतरण 'क' को कर देगा। वस्तुतः 40 लाख के

एक पंथ निरपेक्ष देश में शरिया के सांप्रदायिक प्रावधानों को वित्तीय लेन देन में शासकीय और वैधानिक आधार प्रदान करना, कहां तक उचित होगा?

ऋण पर 60 लाख रूपये की वसूली में यह 20 लाख रूपये का जो लाभ है, हम भारत में इसे ब्याज कहते हैं और शरीया में वे इसे मुनाफा कह देते हैं। अन्यथा ब्याज रहित कर्ज का यह आशय कतई नहीं है कि वे ऋण की कोई लागत नहीं लेते हैं।

लेकिन, भारतीय कानूनों के अधीन तो इस्लामी बैंकों द्वारा किसी कारोबार में ऋण देने के बदले में उस कारोबार के लाभों में साझेदारी की जाती है एवं चल–अचल सम्पत्ति पर ऋण के बदले में इस्लामी बैंक द्वारा, उसे स्वयं खरीद कर उसी सम्पति को क्रेता को पट्टे पर देकर लाभ युक्त किश्ते वसूलना भारत में गैर कानूनी है। भारत का बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (बैंकिंग रेगूलेशंस एक्ट) इन दोनों की ही अनुमति नहीं देता है। अधिनियम की धारा 5(बी) व (सी) बैंक को अपने ग्राहकों के व्यवसाय में लाभ व हानि में भागीदारी रखने का निषेध करता है। जबकि ऋण के बदले लाभों में भागीदारी ही इस्लामी बैंकों की कार्य प्रणाली का एकमेव आधार है, जो भारत में अवैधानिक हो जाता है, इस प्रकार अधिनियम की धारा 8 के अधीन किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिये किन्ही वस्तुओं का क्रय–विक्रय व विनिमय निषिद्ध है। इस्लामी बैंक में वस्तुओं पर ऋण देने की यही पद्धति है, जो अवैधानिक हो जाती है। अधिनियम की धारा 9 के अधीन बैंकों द्वारा अपने निजी उपयोग के प्रयोजन को छोड़ कर किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति को धारित करना निषिद्ध है। इस्लामी बैंक तो अचल सम्पत्ति को अपने नाम पंजीकृत कराकर ही ऋण देते है जो अवैधानिक हो जाता है। ऐसे में या तो बैंकिंग व्यवहारों में शुचिता व मूल्य परकता हेतु किये इन सभी सुरक्षा प्रावधानों को समाप्त करना होगा अथवा इस्लामी बैंकों को 'गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में काम करने की अनुमति देनी होगी। 'गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में हुयी अनियमितताओं के कारण ही अब ग्राहकों से जमा स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों का पंजीयन बंद करना पड़ा था, उसे पुनः खोलना पड़ेगा, यह कितना उचित होगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जिन अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु जमा स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों का नया पंजीयन बंद किया, उसे पुनः चलन में लाना पड़ेगा।

वस्तुतः इस्लामी शरीया आधारित बैंकिंग कारोबारों का भारतीय बैंकिंग कानूनों व सिद्धांतों के अधीन अवैधानिक होने के कारण ही केरल में यू.पी.ए. द्वितीय के कार्यकाल में स्थापित चेरामन फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड नामक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी) को इस्लामी बैंक की तरह काम करने की अनुमति रिजर्व बैंक ने दी थी। सर्वाधिक आश्चर्यजनक तो यह है कि इसकी स्थापना केरल सरकार के स्वामित्व वाले केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने 1000 करोड़ रूपये की अधिकृत पूंजी के साथ की थी। यही नहीं 2016–17 के पुनरीक्षित बजट में भी इस इस्लामी शरीया आधारित कंपनी के लिये 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। पहले से ही यह चेरामन फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड घाटे में चल रही थी, जिसका 2014–15 का घाटा 88.74 करोड़ रूपये कर था।

अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रैल में हुयी सऊदी अरब यात्रा के दौरान भारतीय शिष्ट मण्डल द्वारा जो वहां के इस्लामी विकास बैंक के साथ अनुबंध किया गया है, उसके अधीन अब केरल की चेरामन जैसी ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) के रूप में 'इस्लामी विकास बैंक' (इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक) की पहली शाखा अहमदाबाद में खुलने के समाचार छप रहे हैं। इसकी आगे और भी शाखायें खुलेगी ऐसे समाचार भी छप रहे हैं। इस बैंक के सभी शेयर धारक भी 56 इस्लामी देश है। किसी गैर इस्लामी व्यक्ति या समूह का इसके संचालन में कोई स्थान नहीं है। इसमें एक चौथायी हिस्सा ही सऊदी अरब का है। संयुक्त अरब अमीरात इसका 5वां सबसे बड़ा शेयर या अंश धारक है। देश की 18 करोड मुस्लिम जनसंख्या, इस इस्लामी बैंक का भारत में आने का सबसे बड़ा आकर्षण है जिससे विश्व के 56 इस्लामी देशों का इस्लामी, शरीया कानून से संचालित यह बैंक देश के मुस्लिम समुदाय को जोड़ सकेगा। विश्व में इस्लामी बैंकों की संपदा आज 22 खरब डालर अर्थात 1474 खरब रूपये तुल्य है। उनकी वृद्धि दर सामान्य बैंकिंग उद्योग की तुलना में लगभग तीन गुनी एवं वार्षिक उपार्जन 17 प्रतिशत है।

इस्लामिक बैंक अपने उपार्जन का

इस्लामिक बैंकों की आय का एक बड़ा भाग शरिया कानून के अनुसार केवल इस्लाम मतावलम्बियों में ही बांटे जाने की संभावना है।

बड़ा भाग ज़कात अर्थात दान पुण्य पर खर्च करते हैं। सामान्यतया ज़कात काफिर अर्थात गैर–मुस्लिमों को नहीं दी जाती है (हदीथ 8.24)। ऐसे में देश में कारोबार करने वाले इस्लामिक बैंकों की आय का एक बड़ा भाग शरिया कानून के अनुसार केवल इस्लाम मतावलम्बियों में ही बांटे जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त एक खतरा यह भी है कि आज जहां देश के राष्ट्रीकृत बैंकों में 12 प्रतिशत खाते मुस्लिम समुदाय के है। सऊदी अरब के इस इस्लामिक विकास बैंक की शुरूआत व इसी प्रकार के अन्य बैंकों के आगमन के बाद, संभव है कि सभी इस्लाम मतावलम्बी अपने खाते देश के सामान्य पंथ निरपेक्ष बैंकों से बंद कर ऐसे विदेशी पांथिक बैंकों में खोल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक बड़ा कारण बन जाएगा।

अप्रैल 2016 में ही सऊदी अरब में इस्लामी विकास बैंक के संबंध में हुए समझौते के अनुसार देश का सार्वजनिक क्षेत्र का एक्ज़िम बैंक (Export Import Bank of India) भी इस इस्लामिक विकास बैंक के सदस्य देशों में निर्यात हेतु इस्लामी विकास बैंक को 10 करोड़ डॉलर (36.73 करोड़ दिरहम) अर्थात 670 करोड़ रूपये का ऋण भी देगा। एक पंथ निरपेक्ष देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा पांथिक अथवा सांप्रदायिक बैंकों को ऋण देना भी किस सीमा तक संवैधानिक होगा? इसके अतिरिक्त इस एक नये प्रकार से वित्तीय लेन देनों व ऋण लेने देने के इस आय के लिये एक सर्वथा नये प्रकार की बैंकिंग के लिये विधिक व्यवस्था भी करनी होगी। उदाहरण के लिये ऋण के बदले ऋण ग्रहीता के कारोबार में भागीदारी उसके संबंध में होने वाले विवादों के लिये पंच फैसले के लिये विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना, विधिक तरलता अनुपात हेतु प्रतिभूतियों में ब्याज के स्थान पर लाभार्जन की कोई अन्य प्रामाणिक व्यवस्था करने जैसे अनेक संशोधन करने होंगे। एक बार बैंकों के संबंध में शरिया लागू करने के बाद और कहां–कहां शरिया आधारित व्यवस्था की जाएगी और उसका देश पर क्या प्रभाव होगा? देश की एकता व अखण्डता पर इसका क्या प्रभाव होगा? इन सभी प्रश्नों पर गंभीर विचार आवश्यक है। ❑❑

एक बार बैंकों के संबंध में शरिया लागू करने के बाद और कहां-कहां शरिया आधारित व्यवस्था की जाएगी और उसका देश पर क्या प्रभाव होगा?

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http://swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

विफल होता भूमंडलीकरण

जून 2016 को ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ से अलग होने वाले (ब्रैक्जिट) जनमत संग्रह के फैसले ने दुनिया को हतप्रभ कर दिया। आर्थिक और राजनीतिक पंडित जनता के फैसले को समझ ही नहीं पाये। फैसले के बाद यह कहा जाने लगा कि ब्रिटेन के इस फैसले से उसे भारी नुकसान होगा। फैसले के बाद पाउंड के अवमूल्यन और शेयर बाजारों में आई गिरावट के चलते आर्थिक पंडितों की राय मानो सही सी भी लगने लगी। यह कहा जाने लगा कि ब्रिटेन के विदेशी व्यापार को धक्का लगेगा, क्योंकि ब्रिटेन का 55 प्रतिशत विदेशी व्यापार तो यूरोपीय समुदाय के देशों के साथ ही होता है। लेकिन यह एकतरफा नहीं था। यूरोपीय संघ को भी डर सताने लगा कि इतने बड़े सदस्य देश के बिछुड़ने के बाद उसका भविष्य अधर में लटक जायेगा। हालांकि ब्रिटेन की जनता के इस फैसले के बाद उसे यूरोपीय संघ से अलग होने में 2 साल से अधिक का समय लग सकता है, लेकिन इस फैसले से गुस्साये यूरोपीय संघ ने यह कहना शुरू कर दिया कि ब्रिटेन तुरंत यूरोपीय संघ से अलग हो जाये।

यूरोपीय संघ को भी डर सताने लगा कि इतने बड़े सदस्य देश के बिछुड़ने के बाद उसका भविष्य अधर में लटक जायेगा। हालांकि ब्रिटेन की जनता के इस फैसले के बाद उसे यूरोपीय संघ से अलग होने में दो साल से अधिक का समय लग सकता है, लेकिन इस फैसले से गुस्साये यूरोपीय संघ ने यह कहना शुरू कर दिया कि ब्रिटेन तुरंत यूरोपीय संघ से अलग हो जाये।

– डॉ. अश्वनी महाजन

क्या था अंडर करंट?

चुनाव हो या जनमत संग्रह, उसके नतीजों के पीछे एक अंडर करंट होता है, जिसका सही जायजा नतीजों के आने के बाद ही लग पाता है। कहते है कि जनमत संग्रह में बुजुर्गों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए वोट दिया और युवाओं ने यूरोपीय संघ में शामिल रहने के पक्ष में वोट डाला। इसके पीछे का कारण शायद यह रहा होगा कि पिछले लगभग 10 सालों से बुजर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा बाधित हुई है। लेकिन यह विश्लेषण भी पूरा चित्र स्पष्ट नहीं करता। हम देखते हैं कि केवल तीन क्षेत्रों, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और लंदन ने यूरोपीय संघ के पक्ष में और 9 ने उसके विरोध में वोट डाला।

कुछ वर्ष पूर्व ग्रीस द्वारा अपनी देनदारियां चुकता न कर पाने के कारण यूरोपीय संघ और कर्जदाता देशों द्वारा कटौती की शर्तों से नाराज उसने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला लगभग ले ही लिया था, और अभी भी ग्रीस के लोग यूरोपीय संघ से लगातार नाराज

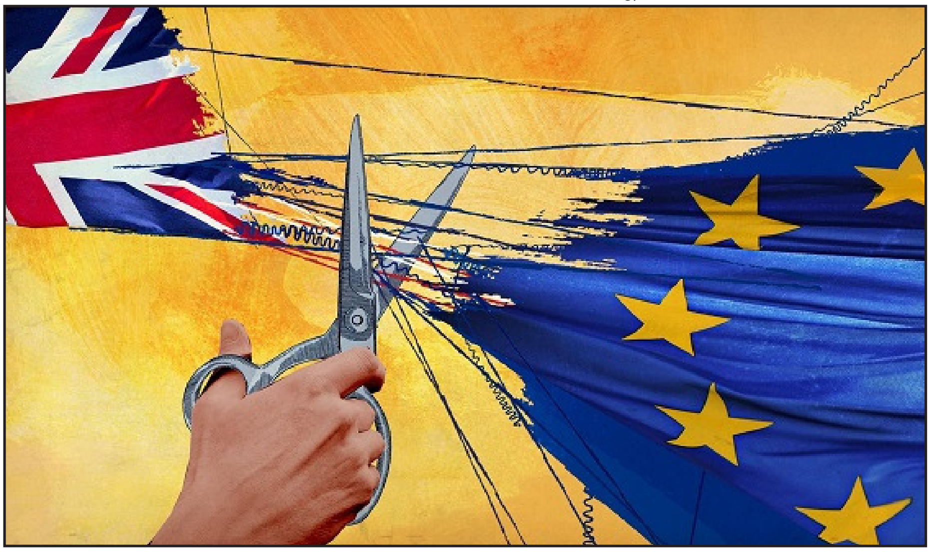

ही दिखते हैं। लंबे संमय से कठिनाईयों से गुजर रहे पुर्तगाल, आयरलैंड, स्पेन, साईप्रस समेत कई यूरोपीय देश यूरोपीय संघ से उकता रहे हैं और यूरो जोन और यूरोपीय संघ दोनों से अलग होने की बात सोच रहे हैं।

बढ़ रही है गरीबी

भूमंडलीकरण के नाम पर देशों के बीच दीवारों को खत्म करने की कवायद में यूरोपीय संघ के निर्माण के बाद कई दशकों तक सदस्य देशों को कोई विशेष कठिनाई नहीं आई। लेकिन वर्ष 2008 के बाद आई मंदी ने कई देशों को लगभग खोखला कर दिया है। इन देशों में आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई है, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है, कर्ज बढ़ा है, सरकारों का राजस्व भी घटा है और इस कारण से पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा खर्च में कटौतियां होने लगी है।

हालिया शोध के अनुसार वर्ष 2008 के बाद ग्रीस, इटली, साईप्रस, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि में गरीबी सोवियत रूस से अलग हुए देशों की उस समय की गरीबी से भी ज्यादा हो गई है। अब यूरोपीय संघ कह रहा है कि 200 लाख लोगों को गरीबी से उबारा जायेगा, लेकिन यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों (खास तौर पर दक्षिण यूरोप) में तो गरीबी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हालांकि 2008 से 2011 के बीच गरीबी लगभग पूरे यूरोप में ही बढ़ी है। ऐसे में ब्रेक्ज़िट का नतीजा, दक्षिण यूरोप के देशों में अलग होने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है।

अमरीका में भी है असंतोष

बाहरी दुनिया में ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन दावेदार डोनाल्ड ट्रम्प के मुस्लिमों और प्रवासियों के खिलाफ बयानबाजी ही अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित कर रही है, लेकिन अमरीका में बढ़ती विषमताएं और गिरता आर्थिक ग्राफ वास्तविक मुद्दों के रूप में उभर रहे हैं।

ट्रम्प का यह कहना है कि अमरीका में बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक विषमताओं के पीछे गलत आर्थिक नीतियां ही हैं। भूमंडलीकरण के नाम पर चीन से सस्ते सामानों के आयात के कारण रोजगार घट रहे हैं। ट्रम्प का यह तर्क, हाल ही में प्रकाशित शोध से पुष्ट होता है कि 1999 और 2011 के बीच चीनी आयात के चलते 24 लाख रोजगार के अवसर घटे। श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार नहीं मिला, जिसके कारण उनकी आर्थिक हालत कमजोर हुई। दुनिया भर में विदेशी व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और मंदी के चलते पूरी दुनिया में विदेशी व्यापार मानो स्थिर हो गया है और उसमें वृद्धि नहीं हो रही। ऐसे में उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास की संभावनाएं समाप्त हो रही है। अमरीकी केंद्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्व' के पास नीतिगत विकल्प नहीं हैं कि वे उपभोक्ता मांग या निवेश को बढ़ा सके। अमरीकी सरकार के पास और ज्यादा 'बेल ऑउट' पैकेज देने की क्षमता भी नहीं है।

पहले यह कहा जाता था कि प्रौद्योगिकी के विकास से रोजगार के अवसर जुटाए जा सकेंगे, लेकिन यह बात असत्य सिद्ध हो रही है। अमरीकी विशेषज्ञ यह मान रहे है कि प्रौद्योगिकी के विकास ने रोजगार घटाया है। इसका सीधा असर आय के वितरण पर पड़ा है। ऊपर के 20 प्रतिशत गृहस्थों के पास पहले 44.3 प्रतिशत आय होती थी, जो बढ़कर अब 49 प्रतिशत हो गई है। जीडीपी में मजदूरी का हिस्सा 2000 में 66 प्रतिशत से घटकर अब मात्र 61 प्रतिशत रह गया है, यानि कहा जा सकता है कि अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब पहले से ज्यादा गरीब हुए हैं।

यूरोप के बहुसंख्यक लोग बेरोजगार और गरीब हो रहे हैं और अमरीका में भी आज गरीबों की हालत और खराब हो रही है। आज यूरोप के विभिन्न देशों में युवा बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। स्पेन और ग्रीस में लगभग 50 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं जबकि ईटली में 43 प्रतिशत, साईप्रस में 34 प्रतिशत और पुर्तगाल में 32.6 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। इंग्लैंड में भी 16 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। अमरीका में कई लोग महंगी दवाओं और महंगी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कई बार अपना ईलाज भी भली–भांति नहीं करवा पाते। यूरोप और अमरीका में बेरोजगार युवा बेरोजगारी भत्ते पर आश्रित है। अमरीका और यूरोप के देशों के बहुसंख्यक लोग अब भूमंडलीकरण से परेशान हैं और अपना पुराना वैभव दुबारा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वहां की सरकारें इस बात के लिए तैयार नहीं है। उन सरकारों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हावी हैं। ऐसे में अमरीका और यूरोप में लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से सरकारों पर यह दबाव बनना स्वभाविक ही है कि भूमंडलीकरण के नाम पर गरीबों और वंचितों का शोषण बंद हो। इस संदर्भ में रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प का यह कथन उल्लेखनीय है कि 'वे भूमंडलीकरण की बजाय अमरीकीकरण को तरजीह देंगे'।

आज जब अमरीका और यूरोप में भूमंडलीकरण विफल हो रहा है और वहां के लोग भूमंडलीकरण से निजात पाने की कोशिश में हैं, दुर्भाग्य का विषय है कि भारत के नीति–निर्माता अभी भी भूमंडलीकरण के गुणगान में व्यस्त हैं और देश के विकास के विदेशी पूंजी, विदेशी आयात, विदेशी टेक्नोलॉजी और विदेशी सोच की अनिवार्यता से अभिभूत हैं। आज समय आ गया है कि हमारे नीति–निर्माता वैश्विक पटल पर भूमंडलीकरण से होने वाले नुकसानों को भली–भांति समझते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा प्रदान करने का काम करें। ❑❑

ड्रग मार्केट में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने की आवश्यकता

यूपीए सरकार द्वारा लगभग 400 दवाओं के दाम तय कर दिये गये थे। वर्तमान एनडीए सरकार 450 और दवाओं के दाम निर्धारित कर दिये हैं। 350 और दवाओं के दाम निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का यह कदम सही दिशा में है। दवाओं के बाजार के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जेनेरिक दवाओं का है। अकसर दवाओं में एक केमिकल होता है। दवा को इस केमिकल के नाम से बेचा जा सकता है। लेकिन कई कंपनियां उस दवा को विशेष नाम से बेचती हैं। जैसे बुखार उतरने की दवा का मूल नाम पैरासिटामोल है। यह बाजार में पैरासिटामोल के नाम से भी उपलब्ध है। लेकिन दूसरी कंपनियां इसी दवा को क्रोसिन अथवा सैरीडान के नाम से बेचती हैं। जब किसी दवा को विशेष कंपनी द्वारा दिये गये नाम से बेचा जाता है तो उसे ''ब्रैंडेड'' कहा जाता है। इन दवाओं को बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। किसी भी कंपनी द्वारा इसे बनाया और बेचा जा सकता है।

दवा कंपनियां अकसर इन दवाओं को अत्यधिक उंचे दाम पर बेचती हैं। इनके द्वारा एडवरटाइजमेंट किये जाते हैं। सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव की बड़ी फौज तैनात की जाती है। डाक्टरों को गिफ्ट एवं कमीशन दिये जाते हैं। जैसे किसी दवा को एक कंपनी 10 रु. में बेच रही है। उसी दवा को दूसरी कंपनी अपना ब्राण्ड लगाकर 50 रु. में बेचती है। इस 50 रु. में से वह 10 रु. का कमीशन डाक्टरों को दे देती है। डाक्टर मरीजों को 50 रु0 की महंगी दवा लिख देते हैं। मरीजों को इस बात का भान ही नहीं होता कि यही दवा कम दाम में उपलब्ध है।

जब किसी दवा को विशेष कंपनी द्वारा दिये गये नाम से बेचा जाता है तो उसे ''ब्रैंडेड'' कहा जाता है। इन दवाओं को बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। किसी भी कंपनी द्वारा इसे बनाया और बेचा जा सकता है।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

इन दवा के दाम पर नियंत्रण करने का अधिकार सरकार के पास ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर के अंतर्गत है। सरकार की मंशा है कि अधिक मात्रा में दवाओं को मरीजों को उचित दाम पर उपलब्ध कराया जाये। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर मूल्य निर्धारण में कई समस्यायें

मूल्य को लेकर विवाद बना रहता है। ड्रग कंपनियों की शिकायत रहती है कि मूल्य नीचे निर्धारित किये गये हैं जबकि जनता की शिकायत रहती है कि ये उंचे हैं।

हैं। पहली समस्या भ्रष्टाचार की है। ड्रग इंसपेक्टर को घूस खाने के अवसर खुल जाते हैं। दूसरी समस्या है कि मूल्य को लेकर विवाद बना रहता है। ड्रग कंपनियों की शिकायत रहती है कि मूल्य नीचे निर्धारित किये गये हैं जबकि जनता की शिकायत रहती है कि ये उंचे हैं। तीसरी बड़ी समस्या यह है कि लगभग 900 दवाओं को बनाने वाली सैकड़ों कंपनियों पर निगरानी रख पाना दुष्कर कार्य है। चौथी समस्या है कि दवा की गुणवत्ता की जांच करना कठिन होता है। सरकार द्वारा दाम कम निर्धारित करने पर कंपनी द्वारा दवा की गुणवत्ता को गिराया जा सकता है। इसलिये मूल्य निर्धारण को जरूरी, परंतु अल्पकालिक उपाय मानना चाहिये। दवाओं के मूल्य न्यून बने रहें इसके लिये दूसरे कदम भी सरकार को उठाने चाहिये।

पहला कदम है कि सामान्य दवाओं पर ब्राण्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाये। साथ–साथ डाक्टरों पर प्रतिबंध लगाया जाये कि वे जेनेरिक दवाओं के पर्चे लिखें व निर्माता कंपनी का नाम पर्चे पर न लिखें। जैसे डाक्टर को बुखार कम करने के लिये पैरासिटामाल दवा लिखनी है। मरीज के प्रिस्कृप्शन पर पैरासिटामोल ही लिख दिया जाये न कि क्रोसिन अथवा सैरीडान। किसी कंपनी का नाम भी न लिखा जाये। ऐसा करने से मरीज पर अपने विवेक से दुकान से किसी भी कंपनी द्वारा निर्मित पैरासिटामाल दवा खरीदी जा सकती है। ड्रग कंपनियों एवं डाक्टरों के अपवित्र गठबंधन द्वारा मरीज को अनायास महंगी दवा खरीदने की मजबूरी नहीं रहेगी।

साथ–साथ सरकार को दवाओं का परीक्षण कराना चाहिये। तमाम अध्ययन बताते हैं कि अकसर गोलियों में बताई गई मात्रा से कम दवा होती है। सरकार को चाहिये कि तमाम कंपनियों द्वारा बनाई गयी दवाओं का परीक्षण कराये। फिर परीक्षण के परिणामों को सरकारी बेबसाइट पर डाले। दुकानदारों को निर्देश दिया जाये कि परीक्षण रिपोर्ट को दुकान में टांगे। तब खरीददार देख सकेगा कि किस कंपनी द्वारा बनाई गयी दवा कितनी कारगर है और उसका क्या दाम है। वह अपने विवेक के अनुसार दवा खरीद सकेगा। इन कदमों का प्रभाव दीर्घकालिक होगा। भ्रष्टाचार के अवसर भी नहीं खुलेंगे।

दवाओं का दूसरा हिस्सा पेटेंटीकृत दवाओं का है। ड्रग कंपनियों द्वारा नई दवाओं का आविष्कार किया जाता है। इन दवाओं पर कंपनी द्वारा पेटेंट हासिल किया जाता है। पेटेंट कानून के तहत इन दवाओं को बनाने एवं बेचने का एकाधिकार पेटेंट धारक कंपनी के पास रहता है। पेटेंट धारक कंपनी द्वारा 20 वर्षों तक दवाओं को मनचाही कीमतों पर बेचा जाता है। ड्रग कंपनियों का तर्क है कि दवा के अविष्कार में उनके द्वारा भारी निवेश किया गया है। इस निवेश को वसूल करने के लिये उन्हें दवा के उंचे दाम रखना अनिवार्य है। यह छूट उन्हें मिलनी ही चाहिये चूंकि उंचे मूल्य पर बेचकर कमाये गये लाभांश से ही वे आगे रिसर्च में निवेश कर सकेंगे और नई दवा का आविष्कार कर सकेंगे। ड्रग कंपनियों की यह दलील सही भी है। दरअसल नई दवाओं की खोज ने मरीज को अपनी बीमारी के साथ जीने का तरीका दिया है। वे कई दशक तक दवाओं का सेवन करते हुये जी लेते हैं। तात्पर्य यह कि यदि नई दवाओं की खोज न हुयी होती तो यह उपचार संभव न हो पाता।

बावजूद इसके, पेटेंटीकृत दवाओं के दाम पर भी कुछ नियंत्रण जरूरी है। कारण कि ड्रग कंपनियों द्वारा कमाये गये लाभ का एक अंश ही भविष्य की रिसर्च में निवेश किया जाता है। शेष लाभ मालिकों अथवा शेयर धारकों को वितरण किया जाता है। इन दवाओं के उंचे मूल्य से मरीज भी सीधे प्रभावित होते है। यहां प्रश्न संतुलन का है। एक ओर पूर्व में किये गये निवेश की वसूली तथा भविष्य में किया जाने वाला निवेश है, तो दूसरी ओर मरीज का हित है। दोनों तर्क मजबूत हैं और किसी वैज्ञानिक कसौटी पर दाम तय कर पाना कठिन है। यह निर्णय राजनैतिक है। सरकार को अपने विवेक से इस संतुलन को स्थापित करना चाहिये। केन्द्र सरकार ने पेटेंटीकृत दवा के दाम निर्धारित करने को एक कमेटी सन् 2007 में बनाई थी। इस कमेटी ने पांच वर्षों के बाद अपनी रपट प्रस्तुत की। इस रपट पर निर्णय लेने के लिये दूसरी कमेटी वर्तमान में विचार कर रही है। सरकार को चाहिये कि इस प्रकार की ढिलाई पर सख्त कदम उठाये और पेटेंटीकृत दवाओं के मूल्य निर्धारण की पालिसी शीघ्र बनाकर देश की जनता को राहत दे। ❑❑

आर्थिक सुधारों की ओर एक कदम

वस्तु व सेवा कर (जीएसटी)

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय संविधान में 122 वां संशोधन वस्तु एवम् सेवा कर (जीएसटी) के रुप में राज्यसभा से 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ। इसे भारत में आर्थिक सुधारों की ओर एक बडा व ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है क्योंकि यह बिल राज्यसभा में (दो तिहाई से ज्यादा सासंदों) सर्वसम्मति से 203/245 मतों से पारित किया गया। इसके उपरांत 8 अगस्त 2016 को यह बिल लोकसभा से पारित हुआ। अब इस बिल को देश की कम से कम 16 विधानसभाओं के द्वारा और पारित होना है फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। तभी से यह बिल देश में लागू हो जायेगा। सरकार जीएसटी को एक अप्रैल 2017 से लागू करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक देश, एक टैक्स का सपना पूरा होने की उम्मीद बन गई है।

राजनीतिक दलों में जीएसटी की दर को लेकर अभी भ्रम बना हुआ है। हालांकि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि टैक्स की दर को नीचा रखना चाहिए तथा वह यह निरंतर प्रयास कर रहे है कि सभी राज्यों के साथ जीएसटी की एक दर पर सहमति बन जायें। जीएसटी दर को जीएसटी परिषद (कौंसिल) को निश्चित करना है जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारों व सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भागेदारी होगी। जीएसटी से यह आशा की जा रही है कि खुदरा मंहगाई दर नहीं बढेगी क्योंकि जिन वस्तुओं व सेवाओं के आधार पर यह मंहगाई दर निश्चित होती है उनमें से 54 प्रतिशत जीएसटी से बाहर हैं तथा 32 प्रतिशत वस्तुओं व सेवाओं पर निम्न दर होगी जबकि मात्र 15 प्रतिशत वस्तुओं व सेवाओं पर प्रमाणित (स्टैण्डर्ड) दर होगी।

जीएसटी विधेयक गत लगभग दस वर्ष से संसद में लाम्बित पडा हुआ था। सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त था, परंतु राज्यसभा में बहुमत नहीं था, किंतु इस बार सर्वसम्मति का

जीएसटी से यह आशा की जा रही है कि खुदरा मंहगाई दर नहीं बढेगी क्योंकि जिन वस्तुओं व सेवाओं के आधार पर यह मंहगाई दर निश्चित होती है उनमें से 54 प्रतिशत जीएसटी से बाहर हैं तथा 32 प्रतिशत वस्तुओं व सेवाओं पर निम्न दर होगी जबकि मात्र 15 प्रतिशत वस्तुओं व सेवाओं पर प्रमाणित (स्टैण्डर्ड) दर होगी।

– डा. सुर्य प्रकाश अग्रवाल

वातावरण राज्यसभा में बनाने में सरकार सफल रही है। राज्यसभा में आठ घंटों की चर्चा में सभी मौजूद राजनीतिक दलों ने व्यक्तिगत राजनीति के स्थान पर जनहित पर ही चर्चा की तथा मात्र अन्नाद्रमुक दल ने औपचारिक विरोध दिखाते हुए उसके सासंदों ने विरोध में राज्यसभा से मतदान के दौरान वाकआउट कर दिया।

जीएसटी देश में लागू होने के उपरांत देश में लगाये हुए विभिन्न प्रकार के कर समाप्त हो जायेंगे और मात्र एक ही कर अर्थात जीएसटी ही लगाने से सैद्धान्तिक रुप से वस्तुओं व सेवाएं सस्ती हो सकती है। आशा यह भी की जा रही है कि कार, दोपहिया वाहन, मूवी टिकट, पंखे, लाइटिंग उपकरण, वाटर हीटर, एयर कूलर, पैंट, सीमेंट, टीवी, रेफ्रिजिरेटर, मोबाइल हैंड सेट सस्ते हो सकते है। परंतु होटल व रेस्टोरेंट के बिल, रेल टिकट, वायुयान टिकट, सिगरेट, कपडा व गारमेंट, ब्राइडेंड ज्वैलरी इत्यादि वस्तुएं 4 से 8 प्रतिशत तक मंहगी हो सकती है। रसोई गैस, पैट्रोल, डीजल, हवाई ईंधन, प्राकृतिक गैस, शराब आदि जीएसटी की सूची से बाहर रखे जायेंगे। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि जीएसटी के क्षेत्र में कौन सी वस्तुओं को शामिल किया जायेगा और कौन सी वस्तुओं को मुक्त रखा जायेगा इसका निर्णय जीएसटी कौंसिल में चर्चा के बाद ही हो सकेगा। कौंसिल में विवाद

कार, दोपहिया वाहन, मूवी टिकट, पंखे, लाइटिंग उपकरण, वाटर हीटर, एयर कूलर, पैंट, सीमेंट, टीवी, रेफ्रिजिरेटर, मोबाइल हैंड सेट सस्ते हो सकते है।

होने पर दो तिहाई भाग राज्यों के पास रह सकेगा और एक तिहाई केंद्र के पास रहेगा। कौंसिल में मतदान के दौरान सदस्यों की कुल संख्या का तीन चौथाई को मौजूद रहना आवश्यक होगा। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि न तो केंद्र एवं न ही राज्यों की किसी प्रकार की कोई मनमानी चल सकेगी। जीएसटी से राज्यों को पर्याप्त हिस्सा केंद्र से प्राप्त हो सकेगा।

संविधान का 122वां संशोधन पारित होने के बाद केंद्र व राज्य सरकार दोनों को जीएसटी नियम बनाने की शक्ति मिल सकेगी। इससे लगभग 18 से अधिक वर्तमान करों का उन्मूलन हो सकेगा। अतंर्राज्यीय व्यापार पर समेकित वस्तु एवं सेवाकर लग सकेगा। शराब व पैट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी कौंसिल तय करेगी। जीएसटी लागू होने से राज्यों को राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति पांच वर्ष तक केंद्र सरकार के द्वारा की जायेगी। आर्थिक सुधार की कोशिश में मोदी सरकार का यह बहुत बडा कदम माना जा रहा है।

जीएसटी लागू होने से आशा है कि केंद्रीय कर–सेंट्रल एक्साइज डयूटी, डयूटीज ऑफ एक्साइज (मेडिसिनल और अन्य संबंधित उत्पादों पर), एडीशनल डयूटीज ऑफ एक्साइज (विशेष महत्व वाले उत्पादों पर), एडीशनल डयूटीज ऑफ एक्साइज (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल उत्पादों पर), एडीशनल डयूटीज ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स, वस्तुओं व सेवाओं पर लगने वाले सेस और सरचार्ज इत्यादि राज्य सरकारों के कर– वैट, सैंट्रल सेल्स टैक्स, पर्चेज टैक्स, लक्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, विज्ञापनों पर लगने वाला कर, लाटरी, जुए और बेटिंग पर लगने वाला कर, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले सेस और सरचार्ज इत्यादि कर समाप्त हो जायेंगे। इस सबसे व्यापार जगत में व्यापारी टैक्सों की उलझन में न आकर अपने समय को और अधिक व्यापार में लगा सकेगा तथा एक प्रकार का कर आतंकवाद भी समाप्त हो सकेगा तथा इन करों में लिप्त सरकारी अधिकारी बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं कर सकेगें। केंद्र सरकार की आय भी बढ सकेगी जिसका सीधा सीधा लाभ सुरक्षा, स्वास्थ्य, व शिक्षा के क्षेत्र की केंद्र सरकार की योजनाओं को मिल सकेगा। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल (डी.लिट्.) सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) के अवकाश प्राप्त प्राचार्य है व स्वतंत्र लेखक व चिन्तक है तथा उनका विषय वाणिज्य है।

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका साम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

नशामुक्त समाज कैसे?

भारत सहित विश्व भर में बढ़ती हुई मादक पदार्थों की प्रवृत्ति एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। विश्व के प्रायः सभी विकसित व विकासशील देश इस समस्या से प्रभावित है। प्राचीनकाल में भी मादक पेय का प्रयोग विस्तृत क्षेत्रों में किया जाता था। वे लोग इसे उस समय संस्कृति का अंश मानते थे। प्राचीन भारत और चीन में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग धुम्रपान में हशीश और अफीम का प्रयाग करता था। इसी प्रकार अन्य प्राचीन संस्कृति वाले देश जैसे मिस्र, बेबीलोन, ग्रीस (यूनान) आदि में भी ड्रग्स का प्रयोग होता था। पुरानी कब्रो में रखी पुराने शरीरों (मम्मीज) में इनके साक्ष्य मिले हैं, साथ ही धार्मिक कार्यों में भी इनका प्रयोग किया जाता था।

द्वितीय महासमर के पश्चात पश्चिम में ड्रग्स का बहुत अधिक विस्तार हो गया। भारत में इसका पर्याप्त प्रयोग होता था, परंतु इसमें विभिन्नता थी। केवल गरीब, अशिक्षित एवं किसान, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी, वे ही इसका सेवन करते थे। वे हशीश, अफीम, गांजा और भांग का प्रयोग अधिक करते थे, ताकि वे अपनी चिंताओं एवं कष्टों को भूल सके। परंतु अब ड्रग्स का आधुनिक प्रयोग शहरी, पढ़े–लिखे लोगों में होने लगा है। भारतीय समाज को ड्रग्स का प्रयोग बहुत खतरनाक मोड़ पर दिखाई दे रहा है।

प्राचीन भारत और चीन में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग धुम्रपान में हशीश और अफीम का प्रयाग करता था। इसी प्रकार अन्य प्राचीन संस्कति वाले देश जैसे मिस्र, बेबीलोन, ग्रीस (यूनान) आदि में भी ड्रग्स का प्रयोग होता था। पुरानी कब्रो में रखी पुराने शरीरों (मम्मीज) में इनके साक्ष्य मिले हैं, साथ ही धार्मिक कार्यो में भी इनका प्रयोग किया जाता था।

– रेणु पुराणिक

सर्वेक्षणों के द्वारा पता चलता है कि 10 से 35 वर्ष के युवा वर्ग इन माद पदार्थों का सेवन अत्याधिक करने लगे है। अब तक देश में लाखों लोग, अधिकांश 15 से 35 वर्ष के युवा ड्रग्स के शिकार हो चुके है। साथ–साथ नशे के व्यापारियों का एक बड़ा समूह युवाओं को अपने जाल में फंसाकर तस्करी का धंधा फैला चुका है। नशाखोरी की प्रवृत्ति समाज के प्रायः सभी वर्गों में जा रही है। इससे उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और पारिवारिक स्थिति दयनीय होती जा रही है तथा आजकल महिलाएं भी मद्यपान की व्यवसनी

होता जा रही है।

आरंभ में व्यक्ति इन मादक द्रव्यों का उपयोग प्रदर्शनकारी प्रभावों के कारण करता है, परंतु दो–चार बार उपयोग करने के बाद वह उसका आदी होने लगता है और बुरी आदत को त्यागने की इच्छाशक्ति क्षीण हो जाती है। कुछ व्यक्ति मित्रों और पड़ोसियों के बहकावे में आकर मादक द्रव्यों के जाल में फंस जाते हैं। अधिकांश व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान में स्वयं को अक्षम पाते है, तब समस्या के निवारण के विकल्प के रूप में मादक द्रव्यों को सेवन करने लगते हैं।

बालक–बालिकाएं, जिन्हें परिवार में अपनों का समुचित स्नेह–प्यार नहीं मिलता, अथवा परिवार का रहन–सहन, माता–पिता के व्यवहार, प्रदर्शनकारी प्रभाव, अभिभावकों द्वारा उपेक्षा, नियंत्रण का अभाव, अकेलापन, निर्धनता, मानसिक आघात, हीन–भावना, मार्ग–दर्शन एवं यथोचित सहयोग का अभाव तथा झूठे आनन्द की अनुभूति के लिए मादक द्रव्यों का सेवन करने लग जाते हैं।

आधुनिकी, वैश्वीकरण एवं अन्य भौतिक ऐश्वर्य, शान–शौकत की चाह में वर्तमान में माता–पिता अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और अपने बच्चों को वांछित प्यार एवं समय नहीं दे पाते हैं। अतः यह बच्चे स्वयं को असुरक्षित समझते हुए मादक द्रव्यों की ओर उन्मुख हो जाता है।

सामान्यतः युवा वर्ग की कुछ विशेष समस्याएं होती है, जिनका समाधान परिवार के बड़े सदस्य ही कर सकते हैं, परन्तु ऐसा नहीं होने पर ये युवा बच्चे परिवार एवं मित्रों से विमुख होकर मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं। इन नशीली दवाओं की बिक्री पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण ये सुगमता से प्राप्त हो जाती है। अवैद्य रूप से इनकी तस्करी करने वालों को अधिक धन प्राप्ति का लालच रहता है। अतएवं ये लोगों को नाना प्रकार के प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसा लेते है।

नशीले पदार्थों के नियमित सेवन से केंसर, एड्स, फेफड़े, हृदय व गले संबंधित रोग, पाचन शक्ति खराब होना, अमाश्य में सूजन आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं।

स्पष्टतः समवयस्क आयु समूह का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर पर आनन्द की अनुभूति और तनाव से मुक्ति का मदक द्रव्य सेवन प्रमुख कारण है। क्षेत्रीय अध्ययन से पता चलता है कि शिक्षित युवा वर्ग आर्थिक तंगी की कमी को पूर्ण करने हेतु चोरी, राहजनी, गैरकानूनी कार्य में स्वयं को लिप्त कर लेते है, जिससे नशे की लत को पूरा किया जा सके। किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ सेवन करने वालों को इसकी आदत हो जाती है। यह नहीं मिलने पर शरीर में अकड़न, जोड़ों में दर्द, ऐठन, शारीरिक पीड़ा अत्यधिक होती है और भूख नहीं लगना, बैचेनी, कमजोरी, जलन आदि अनेक समस्या उत्पन्न होने लगती है।

नशीले पदार्थों के नियमित सेवन से केंसर, एड्स, फेफड़े, हृदय व गले संबंधित रोग, पाचन शक्ति खराब होना, अमाश्य में सूजन आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। यदि परिवार के बच्चे, किशोर या मुखिया नशीली दवाओं की चपेट में आ जाये तो उसके साथ–साथ पूरा परिवार परेशानियों से घिर जाता है। यह आवश्यक है कि उनको समझा–बुझाकर जागरूक बनाये तथा मदाक द्रव्य रूपी व्यसन के दुष्चक्र में फंसने से बचाये।

वर्तमान में मादक द्रव्य सेवन करने वाले व्यक्तियों में नशा करने की आदत में प्रेरक व्यक्ति निम्न है– मित्र–46.67 प्रतिशत, सहपाठी–19.56 प्रतिशत, पडौसी–18.44 प्रतिशत, स्वयं जिज्ञासावश–15.33 प्रतिशत।

प्रयोग किये जाने वाले मादक द्रव्य– गांजा, भांग, शराब का सेवन–62.44 प्रतिशत, हशीश, कोकीन, ब्राउन शुगर का सेवन–75.11 प्रतिशत, ड्रग्स, इंजेक्शन का सेवन–14.44 प्रतिशत।

युवाओं में नशीली दवाओं का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करने में परिवार के सदस्यों को आगे आना होगा। नशेड़ियों को पुनर्वास केंद्रों में दाखिल कर लगातार उपचार करवाना, उदार दृष्टिकोण रखना, उनमें आत्मविश्वास जागृत करना, कॉलेज, विश्वविद्यालय परिसर या कार्यस्थल में सिगरेट या नशा करना तथा तम्बाकू (गुटका) का उपयोग करने को सख्ती से रोकना, अच्छे क्रिया–कलापों से नशे की आदम से छुटकारा दिलाने का प्रयास करना आदि प्रयास कर नशे की आदत से छुटकारा दिलाया जा सकता है। नशा मुक्त होने में तीन से तीन माह का समय लग सकता है, परंतु यह असंभव नहीं है। दृढ़ इच्छाशक्ति एवं धैर्य से अतिशीघ्र नशामुक्त हो सकते है। ❑❑

लेखिका स्व.जा.मंच की अखिल भारतीय महिला प्रमुख है।

स्वदेशी अपनाओ - देश समद्ध बनाओ

वस्तु	स्वदेशी उत्पादन-प्रयोग करें
नहाने का साबुन	गोदरेज, संतूर, निरमा, स्वस्तिक, मैसूर सँडल, विप्रो–शिकाकाई, फ्रेश, अफगाण, कुटीर, होमाकोल, प्रिमियम, मीरा, मेडिमिक्स, पितांबरी, विमल, चंद्रिका, गंगा, सिंथाल, वनश्री, सर्वोदय, नीमा, अनुरा, तथा लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
कपड़े धोने का साबुन	स्वस्तिक, ससा, प्लस, निरमा, ॲक्टो, विमल, हीपोलीन, डेट, पितांबरी, बी.बी., फेना, उजाला, ईज़ी, घड़ी, जेंटिल, मंजुला, अनुरा, अन्य स्थानिक उत्पादन, अन्य लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
सौंदर्य प्रसाधन औषधि	टिप्स एण्ड टोज, श्रंगार, सिंथॉल, संतूर, इमामी, अफगाण, बोरोप्लस, तुलसी, वीको टर्मरिक, अर्निका, हेयर एण्ड केयर, हिमानी, पॅराशूट, डॅन्ड्रफ सोल्युशन, हिमताज, सिल्केशा, नाईल, फेम, बलसारा, जेके, डाबर झंडू, सांडू, बेद्यनाथ, हिमालय, भास्कर, तन्वी, बोरोलीन, केराफेड, बजाज सेवाश्रम, प्रकाश, कोकोराज, प्रिमियम, मूव, क्रैक क्रीम, आयुर, पार्क एवेन्यू, कासवछाप नेचर इसेस और लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
टुथपेस्ट दंतमंजन टुथब्रश	बबूल, प्रॉमिस, विको, ओरा, अमर, अँकर, डाबर, बंदर छाप, टु जेल, चॉईस, मिसवाक, अजय, हर्बोडेंट, अजंता, गरवारे ब्रश, क्लासिक, ईगल, दंतपोला, बंदर छाप, वैद्यनाथ, युवराज, इमामी तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
दाढ़ी का साबुन ब्लेड्स	गॉदरेज, अफगाण, इमामी, सुपर, स्वदेशी, सुपरमैक्स, अशोक, वी–जॉन, टोपाज, पनाना, प्रीमियम, पार्क एवेन्यू, लेझर, विद्युत, जे.के. तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
बिस्कीट चॉकलेट दुग्ध उत्पादन ब्रेड	साठे, बेकमेन, मोनॅको, क्रेकजैक, गिट्स, शालीमार, पैरी, रावलगांव, निलगिरी, क्लासिक, अमूल, न्यूट्रामूल, मॉन्जीनीज, आरे, कॅमको, सम्राट, रॉयल, विजया, इंडाना, सफल, एशियन, विब्स ब्रेड, वेरका, सागर, सपन, प्रिया गोल्ड, न्यूट्रीन, शांग्रिला, चॅम्पियन, ॲम्प्रो, पार्ले, तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
चाय कॉफी	गिरनार, हसमुख, टाटा टी, आसाम टी, सोसायटी, सपट (इस्टंट), डंकन, बह्मपुत्र, एम.आर., शन, टिपस, इंडीया, अशोक, तेज, टाटा कॅफे, कन्सोलिडेटेट कॅफे, टाटा–टेटली और अन्य स्थानीय उत्पादन
शीतपेय शरबत, चटनी अचार, मुरब्बा	एनर्जी, सोसयो, कॅम्पाकोला, गुरूजी, ओन्जुस, जाम्पिन, नीरो, पिंगो, फ्रूटी, आस्वाद, डाबर, माला, रॉजर्स, रसना, हमदर्द, मैप्रो, रेनबो, कॅल्वर्ट, सीटेम्ब्लिका, रूह–आफजा, जय गजानन, हल्दीराम, गोकुल, बीकानेर, वेकफील्ड, नोगा, प्रिया, अशोक, मदर्स रेसेपी, उमा, एच.पी.एम.सी उत्पाद, हिम तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
पीने का पानी	बिसलेरी, बैली, नॅचरल, अन्य स्थानीय उत्पादन
आईस्क्रीम	दिनशॉ, जॉय, वाडीलाल, श्रीराम, पेस्तनजी, नेचर वर्ल्ड, गोकूल, अमूल, हिमालय, निरूला, पेरीना, मदर डेयरी, आरे, विंडी, हॅव मोर, वेरका तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
खाद्यतेल खाद्यपदार्थ	सनफ्लावर, मारूति, पोस्टमैन, धारा, रॉकेट, गिन्नी, स्वीकार, कॉरनेला, सनड्राप, रथ, मोहन, उमंग, विजया, सपन, पॅराशूट, अशोक, सफोला, कोहिनूर, मधुर, इंजन, गगन, अमत, वनस्पति, रामदेव, एमडीएच, एवरेस्ट, बेडेकर, कुबल, डाबर, सहकार, लिज्जत, गणेश, शक्तिभोग आटा, टाटा नमक, एम.टी.आर. तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
विद्युत उपकरण गहोपयोगी वस्तु	विडियोकॉन, बी.पी.एल, ओनिडा, सलोरा, ईटीएण्डटी, टी–सीरीज, नेल्को, वेस्टर्न, अपट्रॉन, केल्ट्रान, कॉस्मिक, टीवीएस, गोदरेज, क्राउन, बजाज, उषा, पोलर, एँकर, सूर्या, ओरिएन्ट, सिन्नी, टूल्लू, क्रॉम्पटन, रवी, जय शंकर, कैलाश, श्रीराम, लायड्स, ब्लू स्टार, व्होल्टास, कूल होम, खेतान, एव्हरेडी, जीप, नोविनो, ॲम्प्रो, निर्लेप, इलाईट, अंजली, जयको, सुमीत, बंगाल, मैसूर, हॉकिन्स, प्रेस्टीज, महाराजा, जयपान, प्रेशर कुकर तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
घड़ियां	टाइटन, अजन्ता, एचएमटी, मैक्सिमा, आल्विन,
लेखन सामग्री	ज़ीफ्लो, विल्सन, कैम्लिन, रेव्हलॉन, रोटोमॅक, सेलो, स्टिक, चंद्रा, मोंटेक्स, कैमल, बिट्टू, स्टिक, प्लेटो, कोलो, त्रिवेणी, फ्लोरा, अप्सरा, नटराज, हिंदुस्तान, ओमेगा, लोटस, कैमे, लिंक तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
जूते, चप्पल पॉलिश	लखानी, लिबर्टी स्टैन्डर्ड, एक्शन, पैरागॉन, फ्लॅश, करोना, वेलकम, रेक्सोना, रिलैक्सो, लोटस, रेड–टेप, फिनिक्स, वायकिंग, बिल्ली, कार्नोबा, किवी शू पॉलिश, फ्लेक्स, बुडलॅनड तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
तैयार कपड़े	पीटर इंग्लैंड, व्हॅन हुसेन, ॲलेन सॉलीए, लुई फिलिप, कलरप्लस, मफतलाल, ट्रॅंड, केम्ब्रिज, डबल बुल, झोडिएक, अरविंद डेनिम, डॉन, प्रोलीन, टीटी, लक्स, अमूल, वीआईपी, रूपा, रेमण्ड, पार्क एवेन्यू, अल्टिमो, न्यूपोर्ट, किलर, फ्लाईंग मशीन, डयूक्स, कोलकाता, लुधियाना तथा तिरुपुर के सभी हौजरी सहित अन्य स्थानीय उत्पादन

विदेशी वस्तु त्याग कर - बोलो वन्देमातरम्

वस्तु	विदेशी उत्पादन का बहिष्कार करे।
नहाने का साबुन	लक्स, लिरिल, लाईफबॉय, पियर्स, रेक्सोना, हमाम, जय, मोती, कैमे, डॅव, पॉंड्स, पामऑलिव, जॉन्सन, क्लिएरसिल, डेटॉल, लेसान्सी, जस्मीन, गोस्डमिस्ट, लक्मे, ॲमवे, क्वांटम, मार्गो, फा, नीम
कपड़े धोने का साबुन	सनलाईट, व्हील, एरियल, चेक, डबल, ट्रीलो, ५०१, ओके, की, रिबेल, ॲमवे, क्वांटम, सर्फ एक्सेल, रिन, विमबार, बिझ, रॉबिन ब्लू, और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के अन्य उत्पादन
सौंदर्य प्रसाधन औषधि	जॉन्सन, पॉण्ड्स, ओल्ड स्पाईस, क्लियरसिल, ब्रिलक्रीम, फेयर एण्ड लवली, वेल्वेट, मेडीकेयर, लेवेंडर, नायसिल, शॉवर टू शॉवर, क्यूटीकुरा, लिरिल, लॅक्मे, डेनिम, ऑरगॉनिक्स, पेन्टीन, रूट्स, हेड एण्ड शोल्डर, ॲमवे, क्वांटम, क्लीनिक, निहार, कोको केयर, ग्लैक्सो, नवराटि्स, मॉरटिम आदि
टुथपेस्ट दंतमंजन टुथब्रश	कॉलगेट, सिबाका, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिग्नल, मॅक्लीन्स, प्रुडंट, अैमवे, क्वांटम, अक्वा फ्रेश, नीम, ओरल–बी, फोरहॅन्स
दाढ़ी का साबुन ब्लेड्स	पामऑलिव, ओल्ड स्पाईस, निविया, पॉन्डस्, प्लैटिनम, जिलेट, सेवेन–ओ–क्लाक, विलमैन, विल्टेज, इरॅस्मिक, स्विस, लॅक्मे, डेनिम
बिस्कीट चॉकलेट दुग्ध उत्पादन ब्रेड	ब्रिटानिया–गुड डे व ब्रेड, टाईगर, मैरी, नेसले, कॅडबरी, बोर्नव्हिटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, मिल्कमेड, किसान, मैगी, फैरेक्स, अनिकस्प्रे, कॉम्प्लान, किटकैट, चार्ज, एक्लेअर, मीलो, मॉडर्न ब्रेड, माल्टोवा, व्हिवा, माइलो, मिल्कफूड
चाय कॉफी	ब्रुक बॉंड, ताजमहल, रेड–लेबल, डायमंड, लिप्टन, ग्रीन लेबल, टाईगर, नेसकॅफे, नेसले, डेल्का, ब्रू, सनराईज, थ्री फ्लावर्स
शीतपेय शरबत, चटनी अचार, मुरब्बा	लेहर, पेप्सी, सेवन–अप, मिरडा, टीम, कोका–कोला, मॅकडॉवेल सोडा, मॅंगोला, गोल्डस्पॉट, लिम्का, सिट्रा, थम्स–अप, स्प्रिंट, डयूक्स, फॅन्टा, कॅडबरी, कॅनडा ड्राय, क्रश
पीने का पानी	ॲक्वाकिना, किन्ले, नेसले नॅचरल
आईस्क्रीम	कॅडबरी, डॉलॉप, नाईस, ब्रुक ब्रांड के उत्पादन, क्वालिटी वॉल्स, कॉरनेली, बास्कीन–रॉबिन्स, यांकी–डूडल्स, कॉरनेट्टो
खाद्यतेल खाद्यपदार्थ	डालडा, क्रिस्टल, लिप्टन, अन्नपूर्णा नमक, आटा और चपाती, मॅगी, किसान, तरला, ब्रुक–बॉंड, पिल्सबरी आटा, कैप्टन कुक नमक और आटा, मॉडर्न चपाती, कारगिल आटा, अंकल चिप्स, लेज, लेहर
विद्युत उपकरण गहोपयोगी वस्तु	जीईसी, फिलिप्स, सोनी, टीडीके, निप्पो, नॅशनल–पैनासोनिक, शार्प, जीई, व्हर्लपूल, सैमसंग, देवू, तोशीबा, एल जी, हिताची, थॉमसन, इलेक्ट्रोलक्स, अकाई, सानसूई, केनवुड, आइवा, ऑल्विन फ्रिज, कैरियर, कोंका, टपरवेयर, जापान लाईफ, ओमेगा, टाइमेक्स, राडो, पायोनियर, टपरवेअर, जपान लाईफ
घड़ियां	ओमेगा, टाईमेक्स, टीसीएल
लेखन सामग्री	पार्कर, पायलट, विंडसर–न्यूटन, फैबर–कैसेल, लक्ज़र, बिक, मॉंट ब्लैक, कोरस, अेस, रोटरिंग, वेटसिंग
जूते, चप्पल पॉलिश	बाटा, प्यूमा, पॉवर, चेरी–ब्लॉसम, आदिदास, रिबॉक, नाइक, लीकूपर, गैसोलीन
तैयार कपड़े	ली के सभी उत्पाद, बर्लिंगटन, ॲरो, लकोस्ट, सॅनफिस्को, लेविस, पेपे जीन्स, रैंगलर, बेनेटोन, रीड एण्ड टेलर, बायफोर्ड

शिक्षाः दिशा एवं दशा

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन मूल्यों से सुशोभित बालक का सर्वांगीण विकास करना माना गया है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने का सम्बल (मार्ग) है। इसका प्रभाव अनंत तथा अनगिनत है। शिक्षा के अभाव से कितनी समस्याएं और विसंगतियां उत्पन्न होती है, यह किसी से छिपी नहीं है। विशेषकर मूल्यहीन शिक्षा व्यवस्था के कारण तो कई प्रकार की नई समस्याएं जन्म ले लेती है। अपनी बौद्धिक और तर्कशक्ति से दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ने वाले युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद तो यहां तक कहते हैं कि 'अपने अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का प्रकटीकरण ही शिक्षा का उद्देश्य है'।

प्रख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि 'जिस शिक्षा में समाज और देश के कल्याण की चिंता के तत्व नहीं है, वह कभी भी सच्ची शिक्षा नहीं कही जा सकती।''

भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो शिक्षा का अभाव ही एकमात्र चुनौती नहीं है, बल्कि उचित शिक्षा का अभाव ज्यादा गंभीर मुद्दा है। सब लोग पढ़ना–लिखना सीख लें, अंगूठे की जगह हस्ताक्षर करना सीख ले, केवल इतना ही शिक्षा का उद्देश होना चाहिए क्या? मनुष्य अपने हित–अहित के संबंध में जागरूक हो जाये, उसे इतना शिक्षित करने से काम चलेगा क्या? मनुष्य को पैसा कमाने की मशीन बना देना, शिक्षा है क्या? अच्छी नौकरी पाने के योग्य हो जाना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाना, किताबें पढ़ना–लिखना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आखिर शिक्षा क्या है? और इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह प्रश्न आज भी अपने देश में एक पहेली बना हुआ है। भारत में 1948–49 में डॉ. राधाकृष्ण आयोग, 1964–65 में कोठारी आयोग, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1990 में राममूर्ति समिति, 1992 में केंद्रीय शिक्षा परामर्श दाता समिति, 1992 में ही मूल्याभिमुखी शिक्षा समिति, 1997–98 में शंकरराव चव्हाण की अध्यक्षता में बनी संसदीय स्थायी समिति आदि कई समितियां एवं आयोग गठित हुए, परंतु भारत के संदर्भ में एक आदर्श शिक्षा नीति बनाने में आज तक कोई

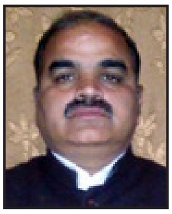

विशेषकर मूल्यहीन शिक्षा व्यवस्था के कारण तो कई प्रकार की नई समस्याएं जन्म ले लेती है। अपनी बौद्धिक और तर्कशक्ति से दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ने वाले युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद तो यहां तक कहते हैं कि 'अपने अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का प्रकटीकरण ही शिक्षा का उद्देश्य है'।

– डॉ. राजीव कुमार

सफल प्रयास नहीं हो पायें।

जहां तक शिक्षा के व्यवसायीकरण का प्रश्न है तो 1990 के बाद दुनिया में वैश्वीकरण की हवा चली, जिसको एल.पी.जी. (लिब्रेलाईजेशन, प्राईवेटाईजेशन, ग्लोबलाईजेशन) भी कहा गया। जिसका शिक्षा पर भी प्रभाव हुआ। सरकारें उच्च शिक्षा से अपना हाथ खींचने लगी। सरकारी महाविद्यालय खुलने बंद होने लगे और जिसक परिणामस्वरूप स्वक्तिपोषित शैक्षिक संस्थान खुलने लगे। इसके कई प्रकार के स्वरूप बनने लगे– डीम्ड विश्वविद्यालय, स्वायत्त (ऑटोनोमस) महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय इत्यादि। सब नाम अलग–अलग है किंतु इन सबका स्वक्तिपोषित संस्थान का स्वरूप है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी शिक्षा के व्यवसायीकरण पर चिंता जताते हुए कहा है कि देश में लगातार शिक्षा की दुकानें उग रही है। जबकि उनके पास मूलभूत ढ़ांचा भी नहीं है। न्यायमूर्ति सिंघवी ने कहा कि शिक्षा व्यवसाय बन चुकी है। सरकारी नियमों और न्यायिक आदेशों के बावजूद भी लगभग 42 प्रतिशत स्कूल, कॉलिज गरीब बच्चों को अपने यहां प्रवेश इसलिए नहीं देते क्योंकि वे उन्हें मुफ्त शिक्षा देना नहीं चाहते। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 34 प्रतिशत अभिभावकों ने माना कि अपने बच्चों की फीस भरने के लिए उन्हें कभी न कभी कर्ज या उधार लेना पड़ा है।

वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में 'भारतीयता' की झलक कही भी देखने को नहीं मिलती है। विद्यार्थियों को न भारतीय इतिहास से अवगत कराया जा रहा है, न परंपराओं से और न ही उसे राष्ट्रीय दायित्व के बोध से अवगत कराया जा रहा है। आज का विद्यार्थी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरशाह और शिक्षक तो बन रहा है लेकिन जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पा रहा है। उसकी सोच में भारतीयता कहीं नहीं झलकती है। पिछले दिनों जेएनयू में हुई घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है। उसका शिक्षित होना सिर्फ उसके व्यक्तिगत लाभ तक ही सीमित रह गया है। समाज एवं देश को आगे बढ़ाने में उसकी शिक्षा का कोई योगदान नजर नहीं आता।

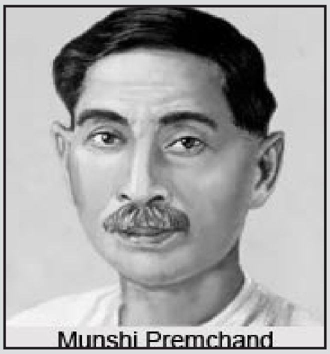

Munshi Premchand

'जिस शिक्षा में समाज और देश के कल्याण की चिंता के तत्व नहीं है, वह कभी भी सच्ची शिक्षा नहीं कही जा सकती'।

आज वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को देखकर हर कोई, चाहे वह शिक्षक, समाजसेवी, विद्यार्थी और राष्ट्रसेवी हो, शिक्षा व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सब मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। समाज में दिख रही तमाम तरह की समस्याओं का बहुत बड़ा कारण कहीं न कहीं नैतिक मूल्यों की गिरावट है और नैतिक मूल्यों की गिरावट का सबसे बड़ा कारण मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार हो, महात्मा गांधी की दृष्टि हो या फिर कोठारी एवं राधाकृष्ण आयोग की रिपोर्ट में दिये गये दिशा–निर्देश हो, सबका यही मत है कि शिक्षा में नैतिक मूल्यों की गिरावट ठीक नहीं। शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश जरूरी है। सभी प्रकार की शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य यहीं होना चाहिए कि अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो जो राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर अपनी भूमिका का निर्वहन करें।

पिछले कुछ समय से देश में नयी शिक्षा नीति को लेकर चर्चा जोरों पर है। मानव संसाधन मंत्रालय भी इस शिक्षा में प्रयास करता दिख रहा है। कौन नहीं जानता कि शिक्षा को एक सोची–समझी साजिश के अंतर्गत वामपंथी शिक्षाविदों ने इस दयनीय स्थिति में पहुंचाया है। आज शिक्षा केवल रोजगार का साधन बनकर रह गयी है। शिक्षा मात्र सूचनाओं और जानकारियों का पुलिंदा बनकर रह गयी है।

समय आ गया है जब शिक्षा नीति में आमूल–चूल परिवर्तन कर शिक्षा के उद्देश्यों को नये सिरे से परिभाषित किया जाये। शिक्षा चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व के विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों के विकास, सामाजिक कुशलता, संस्कृति के संरक्षण तथा विस्तार का माध्यम बनें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार किया है उसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले व्यय हो जीडीपी के 6 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति देना प्रमुख है। जहां तक व्यय की बात है तो यह कम से कम जीडीपी के 10 प्रतिशत तक होना चाहिए और दूसरे विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में लाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि इनके आने से शिक्षा की मूलभूत समस्याओं का कोई समाधान न होकर शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ❑❑

लेखक स्वदेशी जागरण मंच के प.उ.प्र. प्रांत संयोजक हैं।

त्यौहारों का स्वास्थ्य रक्षण में महत्त्व

सदियों से भारतवर्ष में लोग त्यौहारों को मनाते आ रहे हैं। इन त्यौहारों के माध्यम से व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य को यथावत् बनाये रखना तथा रोगोत्पत्ति की संभावना का निराकरण होता है। आज हम यहां त्यौहार के माध्यम से अंधश्रद्धा या दिखावे को बढ़ावा देने की पैरवी नही कर रहे हैं, किंतु कालांतर में त्यौहारों के स्वरूप में हुए परिवर्तनों का तर्कपूर्ण समाधान ढूंढकर उसे पूर्ण वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।

जिस तरह से मिक्सचर, फ्रिज, कम्प्युटर आदि मशीनें लंबे समय तक अपना कार्य सुचारु रूप से करती रहे, इसलिए इसके उपयोग के समय सावधानियां तथा निश्चित नियमों का पालन करना आवश्यक है। वैसे ही मनुष्य का शरीर भी एक यंत्र के समान है, जिसमें अलग–अलग तंत्र जैसे पाचनतंत्र, मूत्रवहतंत्र, प्रजननतंत्र, लसिकावहतंत्र, रक्तवाहितंत्र आदि तथा सप्तधातु (रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र) एवं त्रिदोष का मिलाजुला स्वरूप है। इस शरीर रूपी यंत्र को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ बनाये रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने त्यौहार व रीति–रिवाजों के माध्यम से भारतीय जीवन पद्धति को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है।

आयुर्वेद को जीवन विज्ञान कहा जाता है। इसमें जीवन के सभी पहलुओं का समावेश करते हुये इसे लोक तथा परलोक के लिए भी हितकारी बताया है। चरकसंहिता में सूर्य के मार्ग के अनुसार वर्ष को दो अयनों यथा उत्तरायन तथा दक्षिणायन में विभाजित किया गया है। उत्तरायण या आदनकाल में शिशिर, बसंत तथा ग्रीष्म ऋतुओं का समावेश होता है। वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुओं को दक्षिणायन या विसर्गकाल कहते हैं। सूर्य सिद्धांत में संक्रांति के

इस शरीर रूपी यंत्र को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ बनाये रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने त्यौहार व रीति–रिवाजों के माध्यम से भारतीय जीवन पद्धति को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है।

– वैद्या हेतल दवे

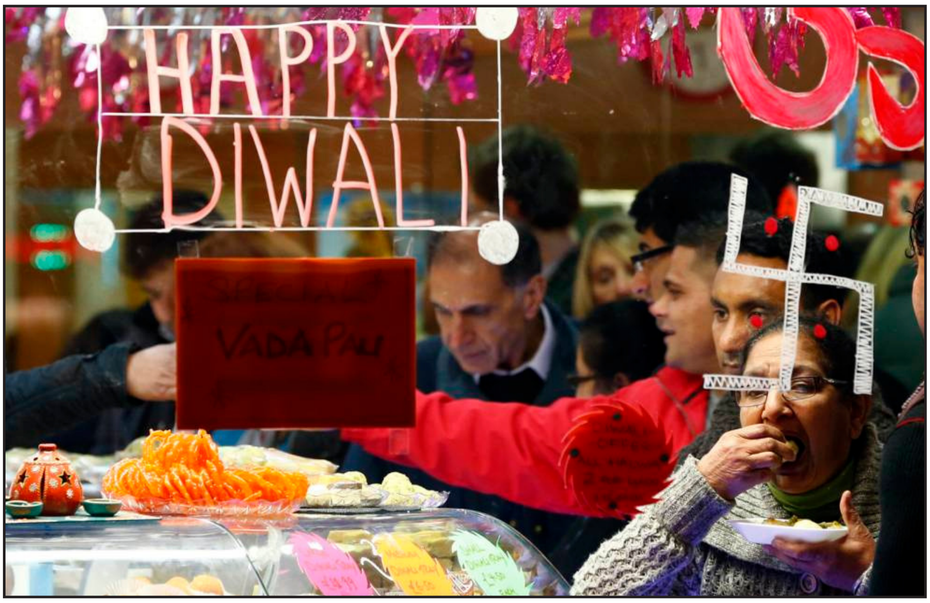

शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप रहता है। इस ऋतु में मनुष्य का बल मध्यम रहता है।

अनुसार मकर–कुम्भ को शिशिर, मीन–मेष को बसंत, वृष–मिथुन को ग्रीष्म, कर्क–सिंह को वर्षा, कन्या–तुला को शरद तथा वृश्चिक–धनु संक्रांतियों को हेमन्त ऋतु माना है। उत्तरायण पृथ्वी के सौम्यांश और प्राणियों के बल को ले लेता है। अतः इसे आदानकाल कहते है। दक्षिणायन पृथ्वी को सौम्यांश और प्राणियों को बल देता है, अतः इसे विसर्गकाल कहते है।

आदानकाल में वायु अतिरूक्ष बहती है। इस काल में सूर्य की किरणे संसार के स्नेहभाग को ले लेती है। वायु भी रूक्ष व तीव्र होकर स्नेह भाग का शोषण करती है। परिणामस्वरूप आदान काल की ऋतुओं शिशिर, बसंत और ग्रीष्म में शरीर में रूक्षता उत्पन्न हो जाती है किंतु विसर्गकाल में वायु अत्यन्त रूक्ष नहीं बहती तथा चंद्रमा पूर्ण बलवान रहता है और समस्त भूमण्डल पर अपनी किरणें फैलाकर विश्व को निरंतर आप्यायित (तृप्त) करता है, इसलिए विसर्ग को सौम्यकाल भी कहा गया है। इस काल में मनुष्य का बल प्रतिदिन बढ़ने लगता है। तात्पर्य यह है कि आदान के प्रति सूर्य कारण है और विसर्ग के प्रति चंद्रमा कारण है तथा वायु योगवाही है जो सूर्य के साथ रहकर आदान का तथा चन्द्रमा के साथ रहकर विसर्ग का कारण होता है ।

वर्षभर में समस्त त्यौहारों पर दृष्टि डाली जाए तो त्यौहार या तो ऋतुसन्धि पर होते है अथवा ऋतु के बीच में होते है। इन त्यौहारों में प्रयोग में लाने वाले आहार–विहार से ऋतुजन्य परिवर्तन के परिणामस्वरूप शरीर में जो विषमता निर्माण हो जाती है, उसे समावस्था में लाने का कार्य होता है। यह कार्य बिलकुल वैसा है जैसा कि रस्सी पर चलने वाला नट अपना संतुलन हाथ फैलाकर या हाथ में दण्ड रखकर करता है।

वर्तमान समय में चल रही शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप रहता है। इस ऋतु में मनुष्य का बल मध्यम रहता है। इससे पूर्व की वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में प्रकुपित हो जाता है इसलिए शरद ऋतु में स्वभावतः सबकी अग्नि मंद कर देता है। अच्छी भूख लगने पर इस ऋतु में मात्रापूर्वक भोजन करने के लिए कहा गया है। जो भोजन रस में मधुर (मीठा) हो, गुण में लघु (शीघ्र पचने वाला हो), वीर्य में शीतल हो तथा कुछ तिक्त (कडुवे) रसयुक्त हो एवं पित्त को शान्त करने वाला हो, ऐसे अन्नपान का भी मात्रापूर्वक सेवन प्रशस्त बताया है। इसलिए इस ऋतु के प्रभाव को समझकर इसमें आने वाले त्यौहार **शरद–पूर्णिमा** के दिन दूध के साथ पोहा और मिश्री, चांदी के पात्र में शीतल चांदनी से सुसंस्कृत होने से यह आहार शरीरस्थ प्रकुपित या बढ़े हुये पित्त को शांत करता है, जिससे ऋतु परिवर्तनजन्य लक्षण जैसे कि भूख न लगना, बेचैनी रहना, स्वभाव में चिडचिडापन आना, मन किसी विषय में न लगना आदि से मुक्त हो जाता है। सब से अच्छी बात तो यह है कि पाचन शक्ति को ध्यान में रखकर आहार करने से अनेक समस्याओं का निवारण हो जाता है। इसलिए ही तो ''शतं जीवेम शरद'' का आशीर्वाद दिया जाता है, अर्थात् ''तुम सौ शरद ऋतु जीओ'' क्योंकि इस ऋतु में मंदाग्नि रहती है, इसलिए शरद ऋतु को रोगों की माता भी कहा गया है। आज हमें समाज में अनेक प्रकार की एलर्जी एवं त्वचा के विकार देखने को मिलते हैं वो भी कम हो जायेगें।

दीपावली भी इस ऋतु में आने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। उसमें भी त्यौहार के उपलक्ष्य में हम विविध प्रकार का मधुर भोजन ही लेते हैं। वह भी शरीर में विजातीय द्रव्यों का संचय नहीं होने देता या तो कम प्रमाण में करता है जिससे रोगों की उत्पत्ति के कारण का ही विनाश होता है। इस तरह शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य (एक प्रकार से चिकित्सा कार्य) परंपरागत ढ़ंग से त्यौहारों में लिए गए आहार–विहार से ही प्रकृति के द्वारा सरलता से संचालित कर लिया जाता है।

इस तरह हम वर्तमान समय में त्यौहारों के स्वरूप में इन ऋतुजन्य परिवर्तनों व शरीरगत विषमता को ध्यान में रखकर बताए गए आहार–विहार से समग्र मानव जाति तथा विश्व को अनेक नये रोगों से बचाकर स्वस्थ गरिमामय जीवन की राह बता सकते है । ❑❑

लेखिका राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के प्रसूति–स्त्रीरोग विभाग में एसिस्टेंट प्रोफेसर है।

पृथ्वी के जीवन के लिए जरूरी है ओजोन की रक्षा

जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर ओजोन परत पर पड़ा है, जिससे उसके लुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल वायुमण्डल के ऊपरी हिस्से में लगभग 25 किमी की ऊंचाई पर फैली ओजोन परत सूर्य की किरणों के खतरनाक अल्ट्रावायलेट हिस्से से पृथ्वी के जीवन की रक्षा करती है। लेकिन यही ओजोन गैस जब धरती के वायुमण्डल में आ जाती है तो हमारे लिये जहरीली गैस के रूप में काम करती है। यदि हवा में ओजोन गैस का स्तर काफी अधिक हो जाये तो बेहोशी और दम घुटने तक की स्थिति आ सकती है। देखा जाये तो मौसम के बदलाव ने कहीं प्रचण्ड गर्मी, तो कहीं प्रचण्ड सर्दी से पैदा हालात स्थिति को और भयावह बना रहे हैं। गर्मी बढ़ने से हवा में प्रदूषण के रूप में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से ऑक्सीजन के तत्व टूट कर हवा में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। इससे ओजोन गैस बनती है।

हवा में ओजोन का स्तर बढ़ने से उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। उस दशा में अन्य प्रदूषक तत्वों की अपेक्षा ओजोन गैस आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसका असर शरीर के विभिन्न अंगों पर तेजी से होता है। प्रचण्ड गर्मी लोगों के लिये ओजोन के रूप में नई मुश्किलें पैदा कर रही है। यह मुश्किल हवा में ओजोन के स्तर बढ़ने से पैदा हुई है।

यह समस्या सांस से जुड़ी बीमारियां, उल्टी आने और चक्कर आने की मुख्य वजह साबित हो रही है। इस बारे में डॉक्टरों का कहना है कि हवा में ओजोन के स्तर बढ़ने से ब्लड प्रेशर व सांस की बीमारियां बढ़ने का अंदेशा बना रहता है। इस कारण अक्सर थकान बढ़ने और सांस लेने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। यदि मौसम विज्ञानियों की मानें तो बढ़ती गर्मी के लिये भी प्रदूषण ही जिम्मेदार है। ऐसे में हमें प्रदूषण का स्तर कम करना होगा।

ओजोन गैस जब धरती के वायुमण्डल में आ जाती है तो हमारे लिये जहरीली गैस के रूप में काम करती है। यदि हवा में ओजोन गैस का स्तर काफी अधिक हो जाये तो बेहोशी और दम घुटने तक की स्थिति आ सकती है।

– ज्ञानेन्द्र रावत

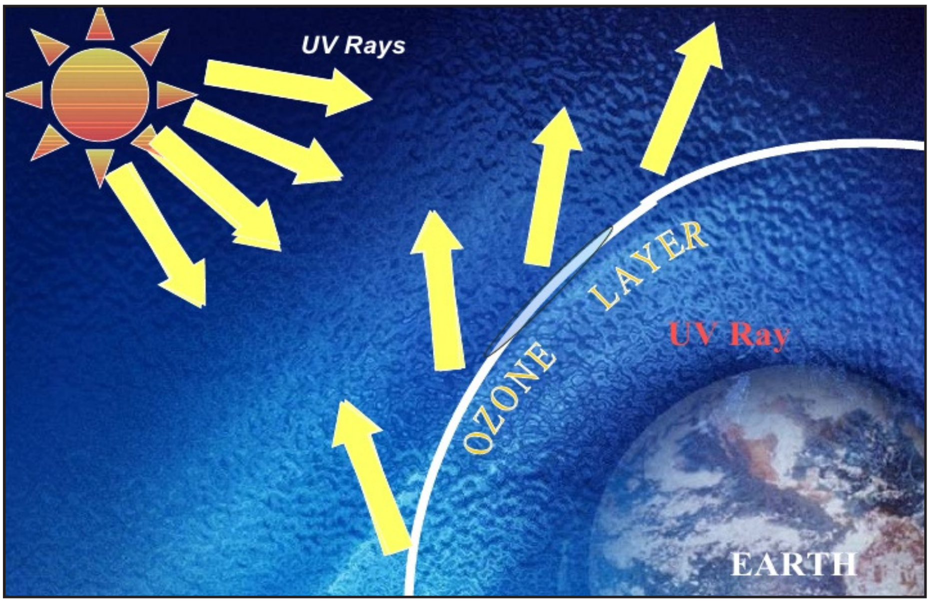

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जिस रफ्तार से ओजोन परत की क्षति हो रही है, उससे हरेक साल त्वचा के कैंसर के तीन लाख अतिरिक्त रोगी पैदा होंगे। इसके अलावा इस बात की प्रबल संभावना है कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, फसलों को नुकसान पहुंचेगा और समुद्री जीवन के आधार को भी क्षति पहुंचेगी।

वर्ष 1985 में जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत में छेद हो गया है, विकसित देशों ने सारा–का–सारा दोष अविकसित देशों पर मढ़ डाला, जहां पर अभी भी कोयला और लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है और वनों की अंधाधुंध कटाई से हरीतिमा खत्म होती जा रही है। लेकिन 1987 आते–आते इस बात का भी खुलासा हो गया कि अब उत्तरी ध्रुव भी नहीं बचा है और अब खतरा केवल विकासशील देशों को ही नहीं, बल्कि विकसित देशों को भी है। तब कहीं जाकर विकसित देशों के कान खड़े हुए।

वर्ष 1988 में मॉन्ट्रियल कंवेंशन में इस बात पर सहमति बनी कि वर्ष 2000 तक ओजोन के लिये खतरनाक गैसों के प्रयोग एवं रिसाव में 90 फीसदी की कटौती की जाएगी। लेकिन अनेक विकासशील देशों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह प्रतिबंध सबसे पहले उन पर लागू होने चाहिए जिन्होंने अभी तक पर्यावरण का सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन से सर्वाधिक प्रदूषित किया है। उनके अनुसार विकासशील देशों का सीएफसी का उपयोग वैसे ही बहुत कम है, ऐसी हालत में उनके यहां 90 फीसदी का अर्थ है सीएफसी पूरी तरह निषिद्ध हो जाना। उन्होंने मांग की कि इसके स्थान पर अन्य विकल्प विकसित देश विकासशील देशों को उपलब्ध कराएं।

जाहिर सी बात थी कि वे विकल्प काफी महंगे साबित होंगे। तात्पर्य यह कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाले पर्यावरण की सफाई का सारा खर्च उठाएं। सच तो यह है कि विकासशील देशों में से अधिकांश का सीएफसी उपयोग निर्धारित स्वीकृत सीमा से भी कम है, वे उसमें कैसे कटौती स्वीकार कर लेते।

उनका मानना था कि जिन देशों ने अभी तक सबसे ज्यादा उपयोग व निर्गम किया है, वे बड़ी मात्रा में कटौती करें और विकासशील देशों को निर्धारित मात्रा तक उपयोग बढ़ाने की सुविधा प्रदान करें। उस समय विकासशील देशों को 10 साल की छूट दी गई थी कि वे सीएफसी के उपयोग व निर्गम में कमी कर सकें। लेकिन हुआ क्या, यह कि उसके बाद हुए सम्मेलन भी स्थिति में बदलाव लाने में नाकाम साबित हुए।

अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत में छेद हो गया है, विकसित देशों ने सारा–का–सारा दोष अविकसित देशों पर मढ़ डाला, जहां पर अभी भी कोयला और लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है।

देखा जाये तो सीएफसी में कटौती करने तथा वैकल्पिक गैस ईजाद करने से समस्या का समाधान नजर नहीं आता। सारा–का–सारा दोष अत्यधिक उपभोगवादी संस्कृति का है जिसने प्राकृतिक साधनों के अंधाधुंध दोहन, शोषण व बर्बादी को जन्म दिया है।

चूंकि अमीरों के लिये सब सुलभ है और वे ही ऐसा कर सकते हैं, इसलिये वे ही सारी संपदा का उपभोग भी कर रहे हैं और जिस तेजी से कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि गरीब देशों के लिये शायद ही कुछ बच पाएगा। उपभोगवादी संस्कृति के विकास व प्रसार का मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जो इसके अर्थशास्त्र, राजनीति एवं समाजशास्त्र से अधिक महत्त्वपूर्ण है। जिन संस्कृतियों में उपभोगवाद को महत्त्व नहीं दिया गया है, उनके समर्थक भी आज भौतिक समृद्धि, ऐश्वर्य और अत्यधिक उपभोग की दिशा में दौड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान में भौतिक समृद्धि ही सम्माननीय एवं अनुकरणीय बन गई है।

गौरतलब है कि सोच और व्यवहार की इस क्रिया को यदि इंसान स्वयं नहीं बदलेगा तो इसमें दो राय नहीं कि प्रकृति उसे बदलने पर बाध्य कर देगी। फिर चाहे वह मौसम में बदलाव से उत्पन्न पर्यावरण विनाश के कारण हों, ओजोन परत में छिद्र के कारण उत्पन्न त्वचा रोगों व कैंसर के भय से हो अथवा बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न सामाजिक तनावों, उपद्रवों, अराजकता, आतंकवाद व जीवन के लिये असुरक्षा से हो, पर क्या यह जरूरी है कि मालथस सिद्धांत ही सही साबित हो।

यह भी तो हो सकता है कि मालथस की अपेक्षा हम गांधी, बुद्ध और महावीर को सार्थक व सफल बनाएं। होना तो यह चाहिए कि हम स्वेच्छा से उपभोगवादी प्रवृत्ति व जीवनमूल्यों को त्यागकर पृथ्वी को शस्य, श्यामला और समस्त चराचर जीवों के लिये सुरक्षित बनाएं। तभी ओजोन की रक्षा संभव है अन्यथा नहीं। यदि ऐसा कर पाने में हम नाकाम रहे तो सच कहा जाये तो उपभोक्तावादी दृष्टिकोण इस दौर की त्रासदी है जिसे झेलने के लिये समूची मानवता अभिशप्त है। पेरिस सम्मेलन से भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। इसको झुठलाया नहीं जा सकता। ❑❑

http://hindi.indiawaterportal.org/International-Ozone-Day-2016

केंद्रीय कार्यसमिति बैठक

3–4 सितंबर 2016, नई दिल्ली

दिनांक 3 सितंबर 2016 को मंच के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में प्रातः 10.30 बजे केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा, राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, राष्ट्रीय सह–संयोजकगण प्रो. भगवती प्रकाश, श्री सरोज मित्र, डॉ. धनपतराम अग्रवाल, डा. अश्वनी महाजन ने भारत माता, राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगडी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर दीप प्रज्ज्वलन करके बैठक का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डा. मनमोहन वैद्य जी, भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय मंत्री श्री पवन कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय मंत्री श्री गोपाल शर्मा, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महामंत्री श्री जितेन्द्र गुप्त एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय प्रकाश जैन विभिन्न सत्रों में उपस्थित रहें।

प्रांत एवं अन्य वृत्त

वर्ष भर में विभिन्न प्रांतों में संपन्न की गई गतिविधियों का विवरण प्रांतों के संयोजक/संगठक/क्षेत्र संयोजकों ने प्रस्तुत किया। काशी प्रांत ने स्वदेशी पत्रिका के 840 सदस्य बना लिए हैं। महिला क्षेत्र, संघर्ष वाहिनी का राष्ट्रीय सम्मेलन, पूर्व–पश्चिम–उत्तर क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड़ क्षेत्र के राष्ट्रीय विचार वर्गों की जानकारी विभिन्न कार्यकर्त्ताओं ने प्रस्तुत की। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में राष्ट्रीय विचार वर्गों में प्राप्त किया गया शुल्क केन्द्र को भेजा जायेगा। भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, लघु उद्योग भारती का वृत्त उनके प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किया। लघु उद्योग भारती अपने गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिनांक 16–19 सितंबर 2016 को जयपुर में प्दकपं प्दकनेजतल डमसं आयोजित कर रही है। जिसमें सभी प्रांतों के स्टॉल लगाये जायेंगे। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत इसमें निशुल्क अपना स्टॉल लगा सकते है। कोलकत्ता में दिनांक 31 अगस्त 2016 को जी.एम. फसलों के संबंध में हुए कार्यक्रम की जानकारी डॉ. धनपतराम अग्रवाल ने प्रस्तुत की। इसमें लगभग 100 वैज्ञानिक एवं अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया। दीनदयाल शोध संस्थान के प्रतिनिधि श्री अभय महाजन ने दीनदयाल शताब्दी वर्ष देश भर में आयोजित किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में 100 वक्ताओं को देश भर में व्याख्यान के लिए

तैयार किया जा रहा है, जिन्हें विभिन्न स्थानों पर भेजा जायेगा।

देश के 350 जिलों में दिनांक 9 अगस्त को एफडीआई के विरोध में प्रध्ाानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस अवसर पर कार्यक्रम/प्रदर्शन भी आयोजित किये गये, जिसे समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया। बैठक में विभिन्न प्रांत संयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम केन्द्र से प्राप्त अल्प अवधि सूचना पर किया गया था। अन्यथा 475 जिलों में ज्ञापन, कार्यक्रम/प्रदर्शन करके जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा सकता था।

एफडीआई के संबंध में सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाने के उपरांत मंच का परिवार संगठनों, सरकार एवं सत्ताधारी दल के साथ विभिन्न स्तरों पर संवाद हुआ था। इसकी जानकारी से प्रो. भगवती प्रकाश एवं डा. अश्वनी महाजन ने अवगत कराया। इन बैठकों में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ब्वदेमतअंजपअम व डवेज च्चमद म्बवदवउल के संबंध में हुई चर्चा का उल्लेख भी किया गया।

एफडीआई पर पुस्तिका विमोचन

श्री अरूण ओझा सहित मंचासीन सभी महानुभावों ने 'एफडीआई से विकास, कहां ले जायेगा यह रास्ता ?' पुस्तिका का विमोचन किया। यह पुस्तिका 15 लेखों का लेख संग्रह है, जिसका संकलन अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री दीपक शर्मा प्रदीप एवं प्रकाशन स्वदेशी जागरण मंच ने किया है। इसमें एफडीआई के संबंध में देश के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के तथ्यपरक लेख हैं जोकि गुण–दोष के आधार पर एफडीआई के विषय पर बहस को आगे बढ़ाते हैं। श्री अरूण ओझा ने कहा कि सभी प्रांतों एवं जिलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करके इसका विमोचन करना है तथा पत्रकार वार्ता आदि के माध्यम से अधिकाधिक प्रचार करना है। महामहिम राज्यपाल सहित जिले के प्रबुद्धजनों/शासकीय अधिकारियों/विश्वविद्यालयों/समविचारी संगठनों/सांसदों/स्तंभ लेखों एवं अन्य प्रमुख व्यक्तियों तक इस पुस्तक को पहुंचाना है। पुस्तकें सभी प्रांत संयोजकों एवं केंद्रीय कार्यालय में श्री मुनीशंकर (8750637570, 9560384817), नई दिल्ली से प्राप्त की जा सकती है।

विशेष विषयों पर चर्चा

बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विभिन्न महानुभावों ने विषय प्रस्तुत किया तथा उसके उपरांत बैठक में विस्तृत चर्चा की गई।

1. विदेशी पूंजी निवेशः डा. अश्वनी महाजन – डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि यूपीए सरकार के समय स्वदेशी जागरण मंच इस विषय पर मुखर था। क्योंकि यह सरकार कहती है कि वे पुनर्विचार करेंगे। इस कारण हम धीरज से व्यवहार कर रहे हैं। किंतु ऐसे संकेत नहीं आ रहे। ऐसे में उद्विग्न होना स्वाभाविक है। चर्चा में भारतीय मजदूर संघ से श्री पवन कुमार, लघु उद्योग भारती से श्री जितेन्द्र गुप्त, डा. भगवती प्रकाश, डा. धनपतराम अग्रवाल, श्री सरोज मित्र, श्री अजेय भारती, श्री यशोवर्द्धन त्रिपाठी, श्री वंदेशंकर सिंह, श्री भगीरथ चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। श्री अजेय भारती ने इस ओर भी ध्यान दिलवाया कि 1 जुलाई 2016 को विश्व व्यापार संगठन ने सभी देशों को एक चर्चा पत्र भेजा है जिसमें ई–कॉमर्स को जीएसटी सहित सभी प्रकार के करों एवं प्रतिबंधों से मुक्त करने को कहा है। साथ ही साथ मानव संसाधन मंत्रालय देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वाई–फाई युक्त कर रहा है किंतु इसके लिए दिए जा रहे ठेकों की शर्तें ऐसी है कि कोई भी भारतीय कंपनी इसमें आवेदन ही नहीं कर सकती। श्री सरोज मित्र ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर लॉबिंग करती है तथा सरकार उसी पर मुहर लगा देती है। जबकि चीन ने एफडीआई अपनी शर्तों पर लिया है। श्री अरूण ओझा ने कहा कि मंच एक धर्मयुद्ध लड़ रहा है जिसमें सामने वाला पक्ष मायावी युद्ध की रणनीतियां अपना रहा है। अतः हम भी पूरा अध्ययन करके तर्क तथ्यों सहित तैयारी रखें।

2. व्यापार समझौतेंः डा. धनपतराम अग्रवाल – डा. धनपतराम अग्रवाल ने कहा कि विकसित देश विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के द्वारा जो ले सकते थे वह उन्होंने अधिकांशतः ले लिया है। अब जब उनके द्वारा विकासशील देशों को देने की बात आ रही है तो उन्होंने विश्व व्यापार संगठन से इत्र अन्य व्यापार समझौतों (यथा मुक्त व्यापार समझौतें/क्षेत्रीय व्यापार समझौतें आदि) करने प्रारंभ कर दिए है जो कि भारत के लिए चिंताजनक है। चर्चा में प्रो. भगवती प्रकाश, डा. अश्वनी महाजन, श्री अजेय भारती, श्री सरोज मित्र सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

3. जी.एम. फसलेंः प्रो. भगवती प्रकाश – प्रो. भगवती प्रकाश ने कहा कि देश का लगभग 7 लाख करोड़ रूपये का बीज कारोबार है जिस पर जी.एम. के नाम पर विश्व की 6–7 बहुराष्ट्रीय कंपनियां नजर गडाये बैठी हैं एवं विज्ञान का सहारा लेकर पूरी जैव विविधता को अपने नियंत्रण में ले रही है। चर्चा में श्री अजय पत्की, डा. अश्वनी महाजन सहित अन्य कार्यकताओं ने भाग लिया। श्री अरूण ओझा ने कहा कि बाजार की शक्तियों ने विज्ञान का अपहरण कर लिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का यह विज्ञान वास्तव में छद्दम विज्ञान है।

संगठनात्मक

मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने एक महत्वपूर्ण बैठक

में शीर्षतम राजनेता के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि 'हम तो निवेश का वातावरण बनाते है किन्तु कुछ संगठन सुंई मारकर उसकी सारी हवा निकाल देते हैं', उन राजनेता को संकेत स्वदेशी जागरण मंच की ओर था। श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि अभी तो स्वदेशी जागरण मंच ने कुछ किया ही नहीं, तो भी शीर्ष राजनेताओं को मंच की शक्ति का अहसास हो रहा है। ऐसे में मंच को अपना काम तेजी से बढ़ाना होगा ताकि हमारे कार्यकर्ता बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं सरकार को देश हित में स्वदेशी जागरण मंच की शक्ति से परिचित करा सके। श्री कश्मीरी लाल ने सभी कार्यकर्ताओं से कार्य विस्तार के लिए सुझाव आमंत्रित किये। इस चर्चा में सभी प्रांतों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। स्वदेशी सप्ताह, चलो गांव की ओर, परिवार सम्मेलन, व्यापारियों/उद्योगपतियों/किसानों/छात्रों/महिलाओं एवं अन्य वर्गों के सम्मेलन, जिलानुसार विभिन्न विषयों पर अध्ययन के लिए कार्यदलों को गठन, कार्यकर्ताओं का अधिकतम प्रवास, बुद्धिजीवियों से संपर्क, Targetted Approach, हिन्दी दिवस का उपयोग, वैश्विकरण से पीड़ित पक्षों के साथ सहयोग, सोशल मीड़िया, जन आंदोलन–सरकार से संवाद करने वाले विभिन्न स्तरीय कार्यकर्ताओं का निर्माण, चीन, पर्यावरण, गैर सरकारी संगठन, प्रचार की आधुनिक पद्वतियां, ग्राम सभाएं आदि के माध्यम से कार्य विस्तार के लिए विभिन्न सुझाव कार्यकर्ताओं ने दिए। श्री कश्मीरी लाल ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि दो वर्ष पूर्व एकात्म मानववाद के विषय पर कार्यक्रम प्रत्येक जिले में किये गये किन्तु वर्तमान में 9 अगस्त को एफडीआई का कार्यक्रम केवल 6 जिलों में ही किया गया। जबकि मंच के कार्यकर्ता प्रत्येक स्थान पर है। इसके कारणों को विश्लेषण करके उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

13वीं राष्ट्रीय सभा

दिनांक 12,13,14 नवंबर 2016 को कुरूक्षेत्र, हरियाणा में मंच की 13वीं राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया जायेगा। इससे पूर्व दिनांक 11 नवंबर 2016 को प्रातः 11.00 बजे राष्ट्रीय सभा की आयोजन समित एवं प्रस्ताव समिति की बैठक तथा दोपहर 3.00 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक सभा स्थल पर ही होगी। सभी प्रतिभागी अपने साथ एक गर्म चादर अवश्य लेकर आएं।

हरियाणा प्रांत के संयोजक श्री विजय वत्स ने राष्ट्रीय सभा की व्यवस्थाओं के लिए विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए विशेष रूप से एक ब्रोशर भी बनाया गया है। यह ब्रोशर बैठक में सबको वितरित किया गया।

राष्ट्रीय सभा स्थल–

गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, सलारपुर रोड़, कुरूक्षेत्र, हरियाणा

यह स्थान दिल्ली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 8 पर दिल्ली से 195 किमी. की दूरी पर स्थित है। इसके लिए बस से पीपली नामक स्थान पर उतरना होगा। वहां से लगभग 2.5 किमी. दूर यह सभा स्थल है। पीपली से प्रतिभागियों को ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था रहेगी। रेल से आने वाले प्रतिभागी कुरूक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर उतरें। रेलवे स्टेशन से भी वाहनों की व्यवस्था रहेगी।

राष्ट्रीय सभा दिनांक 12 नवंबर को प्रातः 10.30 बजे प्रारंभ होकर 14 नवंबर की दोपहर भोजन तक चलेगी। दिनांक 12 नवंबर को दोपहर 3.00 बजे भव्य स्वदेशी संदेश यात्रा तथा सायं 4.00 बजे स्वदेशी संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। स्वदेशी संदेश यात्रा के लिए सभी प्रांत एवं सभी जिले 4 मीटर लंबा भगवा रंग के कपड़े पर नीली स्याही से लिखा हुआ अपना–अपना बैनर साथ लेकर आएं। बैनरों के लिए डंडे कुरूक्षेत्र में ही मिलेंगे। जितने प्रतिनिधि आएं उतने ही झंडे भी साथ लेकर आएं।

राष्ट्रीय सभा के लिए प्रतिभागियों की पात्रता– राष्ट्रीय सभा में प्रांतीय परिषद के सदस्य एवं इससे उपर के स्तर के कार्यकर्ता अपेक्षित है। प्रांतीय परिषद से तात्पर्य यह है कि सभी नगर, जिला, विभाग एवं ऊपर स्तर के संयोजक/सह संयोजक/संगठक तथा समविचारी संगठनों के 2–2 प्रतिनिधि। इसके अलावा ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें भविष्य में दायित्व देने की योजना बना ली है।

प्रदर्शनीः सभा स्थल पर प्रांतों की प्रदर्शनी के लिए व्यवस्था रहेगी। अतः अपने–अपने प्रांतों की प्रदर्शनी साथ लेकर आएं।

सामान्तर सत्रः 1. विदेशी पूंजी निवेश, 2. जैव संवर्द्धित फसलें, 3. चीन से चुनौती, 4. देशी चिकित्सा के विषय पर सामान्तर सत्र आयोजित किये जायेंगे।

प्रस्तावः तीन विषयों पर प्रस्ताव पारित किये जायेंगे। (एफडीआई, सौर उर्जा, शिक्षा नीति, लेबर माईग्रेशन, आर्थिक नीतियां, आर्थिक परिदृश्य आदि विषयों के सुझाव प्राप्त हुए।)

विशेष व्याख्यानः तीन विषयों पर विशेष व्याख्यान आयोजित किये जायेंगे। (जैव संवर्द्धित फसलें, 25 वर्षो के आर्थिक सुधार व भूमंडलीकरण, मेड बाय इंडिया, जीएसटी आदि विषयों के सुझाव प्राप्त हुए।)

राष्ट्रीय सभा की आयोजन समितिः *प्रमुख* – श्री कमलजीत (दिल्ली, हरियाणा प्रांत संगठक), *व्यवस्था समिति प्रमुख* – श्री बलराम नंदवानी (उत्तर क्षेत्र सह संयोजक), *सदस्य*– श्री विजय वत्स (हरियाणा प्रांत संयोजक), श्री सतेन्द्र सरोत (हरियाणा प्रांत सहसंयोजक), प्रो. सोमनाथ सचदेव।

कार्यक्रम समिति – *प्रमुखः* श्री दीपक शर्मा प्रदीप–दिल्ली (अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख), *सदस्य*–श्री अजय पत्की–महाराष्ट्र (अखिल भारतीय विचार मंडल प्रमुख), श्री अन्नदाशंकर पाणीग्रही–उड़ीसा (अखिल भारतीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख), श्री वंदे शंकर सिंह–झारखंड (आंचलिक संघर्ष वाहिनी प्रमुख), श्री प्रवीण मशैरी (छत्तीसगढ़ प्रांत सहसंयोजक)।

प्रस्ताव समिति *प्रमुख*– श्री अजेय भारती–दिल्ली (अखिल भारतीय सह विचार मंडल प्रमुख), *सदस्य*– प्रो. भगवती प्रकाश (राजस्थान), प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी (कर्नाटक), डा. धनपतराम अग्रवाल (प. बंगाल), डा. अश्वनी महाजन (दिल्ली), श्री आर. सुन्दरम (तमिलनाडू), श्री संजीव महेश्वरी (उ.प्र.), डा. भोलानाथ मिश्र (अवध), श्री सर्वेश पांडे (काशी), श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह चंदेल (म.प्र.), श्री धर्मेन्द्र दूबे (राजस्थान), श्री जितेन्द्र गुप्त (म.प्र.)।

वृत्त लेखन समिति *प्रमुख* – डा. निरंजन सिंह–उ.प्र. (अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख), *सदस्य* – श्री दिलीप निराला (बिहार प्रांत संयोजक), डा. राजीव कुमार (प.उ.प्र. प्रांत संयोजक)।

नियंत्रक– श्री कृष्ण कुमार शर्मा–पंजाब (उत्तर क्षेत्र संयोजक), *सहनियंत्रक*– श्री ईलम कुमार संपत (तमिलनाडू प्रांत संगठक), श्री के. जगदीश राव (कर्नाटक प्रांत संगठक), श्री विकास चौधरी (दिल्ली–हरियाणा संघर्ष वाहिनी प्रमुख), श्री प्रशांत भोई (गुवाहाटी जिला संयोजक, असम), श्रीमति शीला शर्मा (अखिल भारतीय सहमहिला प्रमुख, छ.ग.), श्री सुरेन्द्र सिंह (उत्तराखंड प्रांत संयोजक), श्री रविन्द्र सोलंकी (दिल्ली प्रांत सहसंयोजक)।

राष्ट्रीय सभा संचालन समिति – 1. श्री सतीश कुमार (अखिल भारतीय सह विचार मंडल प्रमुख, उत्तर क्षेत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश संगठक), 2. श्री कमलजीत (दिल्ली–हरियाणा प्रांत संगठक), 3. श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप', 4. श्री बलराम नंदवानी, 5. श्री अजेय भारती, 6. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, 7. डॉ. निरंजन सिंह, 8. श्री विजय वत्स (हरियाणा प्रांत संयोजक)।

शुल्क– 250 रू. प्रति प्रतिभागी

राष्ट्रीय सभा के प्रतिभागियों की संख्या– जम्मू कश्मीर–5 पुरूष 2 महिला, पंजाब–35पु. 5म., हि.प्र.–40पु.10म., दिल्ली–60पु. 15म., राजस्थान–70पु. 5म. , प.उ.प.–22 पु. 3म., काशी–30पु. 10म., अवध–30 पु. 15म., झारखंड–55पु. 5म, बिहार–60पु. 10म., गुजरात–15पु. 5म., महाराष्ट्र–20पु. 10म., म.प्र.–80पु. 20म., छत्तीसगढ़–20पु. 10म., उत्तराखंड–25पु. 5म., असम–5, मणिपुर–2, उड़ीसा–40, बंगाल–20, केरल–8, तमिलनाडू–13, आंध्र प्रदेश–15, तेलंगाना–10, कर्नाटक–25, कुल योग–875 (हरियाणा प्रांत के अलावा)।

संपर्क सूत्र– श्री विजय वत्स (हरियाणा प्रांत संयोजक)–9416160185, vijayvatsckd@gmail.com,

आवासीय व्यवस्था – 7206431000, ***परिवहन व्यवस्था*** – 9813020930,

सामान्य जानकारी – 9813122220,

प्रो. भगवती प्रकाश ने कहा कि शिक्षा–जैव संवर्द्धित फसलें–हिन्दी प्रवर्तन–बौद्विक संपदा अधिकार–चिकित्सा–विदेशी पूंजी निवेश–जैव विविधता–जैविक कृषि के विषयों पर तुरंत जिला स्तरों पर कार्यदल गठित किए जायें। प्रत्येक जिलें में स्थानीय विषयों को भी सम्मिलित करके 10 से 15 कार्यदल बनाये जायें जिनकी वर्ष में न्यूनतम 3 बैठकें अवश्य आयोजित हों। देश भर में स्वदेशी के मुद्दों को लेकर व्यापक जन–जागरण अभियान चलाने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा प्रारंभ करते हुए श्री सरोज मित्र ने कहा कि परिवार संगठनों सहित विभिन्न वर्गों में संपर्क करते हुए सभी प्रांत अपनी–अपनी योजना से जन–जागरण अभियान चलाकर कुरूक्षेत्र सभा में आएं। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते है कि कुरूक्षेत्र सभा से पहले हमें इस प्रकार की तैयारी सूचियां संकलन आदि कर लेना है ताकि यदि कुरूक्षेत्र सभा में किसी बड़े अभियान की योजना बने तो हमारी पूरी तैयारी पहले से ही रहे। **स्वदेशी समर्थक अभियान के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। श्री कश्मीरी लाल इस संबंध में मार्गदर्शन करेंगे।**

श्री कश्मीरी लाल ने चर्चा का समारोप करते हुए कहा कि ऐसे सभी चिन्हित किये गये कार्यकर्ताओं को आगामी राष्ट्रीय सभा में अपने साथ लेकर आयें। यह प्रयास निश्चित रूप से किया जाये कि प्रांत के प्रत्येक जिले से कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय सभा में लेकर आयें। विचार वलय गांवों में भी चलायें। प्रांत टोली की बैठक वर्ष में 5 बार, प्रांत कार्यसमिति बैठक/प्रांत सम्मेलन वर्ष में 1 बार, जिला सम्मेलन–जिला विचार वर्ग वर्ष में अवश्य किये जायें। इस संबंध में उन्होंने केंद्र के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप भी कार्यकर्ताओं को दिये। इस प्रारूप को सभी प्रांत संयोजकों ने राष्ट्रीय सभा में भरकर लाना है। जिन जिलों में कार्य

विस्तार कम है, वहां अधिक प्रवास करना है प्रत्येक जिले में किसी न किसी कार्यकर्ता का प्रवास अवश्य करना है तथा चिन्हित किए गए कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय सभा में लाना है। जहां एक भी संपर्कित व्यक्ति नहीं है, वहां विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का सहयोग लें।

सीबीएमडी एवं मेलें

श्री वंदेशंकर सिंह ने इस संबंध में व्यापक चर्चा के उपरांत मेलों को आयोजित करने के लिए एक प्रारूप तैयार किया। बैठक में इस प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री सचिन्द्र कुमार बरियार को मेला आयोजन समिति का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया। वे शीघ्र ही प्रारूप का अंतिम रूप उपलब्ध करवायेंगे। प्रत्येक जिले में मेलें आयोजित करने है तथा प्रांत स्तर एवं महानगरों में बड़े मेलें आयोजित करने हैं। मेलें इत्यादि के लिए ट्रस्ट के गठन पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

केंद्रांश

जिन प्रांतों का केंद्रांश शेष है उन्होंने राष्ट्रीय सभा तक देने की घोषणी की।

विशेष कार्यदल

निम्नलिखित विषयों पर कार्य विस्तार के लिए कार्यदलों का गठन किया गया।

1. एफडीआई कार्यदल–प्रमुखः श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप', (इसके सदस्यों की घोषणा शीघ्र की जायेगी।)

2. जैव संवर्द्धित फसलें कार्यदल– प्रमुखः डा. धनपतराम अग्रवाल, सदस्य– श्री अरूण ओझा, डॉ. अश्वनी महाजन,

3. चीन कार्यदल–प्रमुखः प्रो. भगवती प्रकाश, सदस्य–श्री सतीश कुमार, श्री संजीव महेश्वरी, श्री ज्योतिन्द्र मिस्त्री, कर्नल सुनील देशपांडे।

नई नियुक्तियां

श्री अरूण ओझा ने निम्नलिखित कार्यकर्ताओं को दायित्व प्रदान किये–

छ.ग.– श्री प्रवीण मैशरी–प्रांत सहसंयोजक

असम– श्री प्रशांत भोई–गुवाहाटी महानगर संयोजक (आप असम के सभी जिलों में संपर्क करेंगे।)

आगामी कार्यक्रम

1. *13वीं राष्ट्रीय सभाः* 12–14 नवंबर 2016, कुरूक्षेत्र, हरियाणा (दिनांक 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय परिषद बैठक एवं प्रातः 11 बजे आयोजन समिति तथा प्रस्ताव समिति की बैठक होगी।)
2. वैश्विकरण के 25 वर्ष पर राष्ट्रीय सम्मेलनः दिनांक 12 सितंबर 2016, नई दिल्ली।
3. सौर उर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनः दिनांक 15–18 दिसंबर 2016, वाराणसी (उ.प्र.)
4. स्वदेशी सप्ताहः 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 2016
5. दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यानः 10 नवंबर 2016
6. स्वदेशी दिवस (बाबू गेनू बलिदान दिवस): 12 दिसंबर 2016

प्रांतीय सम्मेलन

झारखंड–24, 25 सितंबर 2016, हि.प्र.–10,11 सितंबर, महाराष्ट्र–16,17 अक्टूबर, गुजरात–11 सितंबर, उत्तराखंड–17,18 सितंबर, अवध–दिसंबर 2016, काशी–24, 25 सितंबर, छत्तीसगढ़–11 सितंबर, जम्मू कश्मीर–18 सितंबर

अन्य

व्यापार समझौतों, सौर उर्जा, जैव संवर्द्धित फसलें के कार्यदलों में अधिक से अधिक विशेषज्ञों को जोड़ना है। जैव संवर्द्धित कार्यदल में श्री कमलजीत एवं श्री भोलानाथ मिश्र विशेषज्ञों को जोड़ने में सहयोग करेंगे। प्रांतों का संगठनात्मक वृत्त का प्रारूप डा. राजीव कुमार एवं श्री सतीश कुमार से प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर पूर्व के राज्यों में कार्य विस्तार करना है। इन राज्यों यदि कार्यकर्ताओं के संपर्क हैं तो उनके नाम पते दूरभाष सहित श्री अरूण ओझा को देने हैं। सौर उर्जा एवं व्यापार समझौतों के विषय पर कार्यदल गठित करने के लिए प्रो. भगवती प्रकाश ने सुझाव दिया। डा. मनमोहन वैद्य जी ने एक सत्र में चर्चा में मार्गदर्शन किया। प्रो. भगवती प्रकाश ने बताया कि 9 अगस्त 2016 को लोकसभा में Motor Vehicle Act की धारा 147 में संशोधन के लिए Motor Vehicle Insurance Bill लाया गया है। इसमें कुल 88 संशोधन हैं। जिसके अनुसार थर्ड पार्टी बीमा के लिए गंभीर रूप से घायल को अधिकतम 5 लाख एवं मृत्यु की स्थिति में 10 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। जबकि पीड़ित को वास्तविक क्षति उससे कहीं ज्यादा की होती है। इस संबंध में उन्होंने संक्षिप्त जानकारी दी। बैठक की व्यवस्था दिल्ली प्रांत के यमुना विहार विभाग ने की। विभाग संयोजक श्री मनोज गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की टोली ने सभी व्यवस्था का दायित्व सुचारू रूप से निर्वहन किया।

विशेष

अखिल भारतीय वृत्त के लिए सभी प्रांत वर्ष भर का अपना–अपना वृत्त दिनांक 30 सितंबर तक केंद्रीय कार्यालय में भेज दें। इसके उपरांत अखिल भारतीय वृत्त का निर्माण प्रारंभ हो जायेगा। अतः यह ध्यान रखें यदि इसके उपरांत कुछ कार्यक्रम होते हैं तो उनका वृत्त बाद में भेज दें।

समारोप

श्री अरूण ओझा ने बैठक का समारोप करते हुए कहा कि स्वदेशी जागरण मंच देश के 475 जिलों तक पहुंच चुका है। शेष बचे हुए जिलों में अपनी ईकाईयों का गठन करके हम देश के प्रत्येक जिलें से दायित्वान कार्यकर्ता को लेकर कुरूक्षेत्र में पहुंचे। इसी के साथ कार्यसमिति बैठक समाप्त हो गई। ❑❑

*संचार क्रांति के साथ लोगों के जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ गये हैं। मोबाईल तो जैसे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हो गया हो, हर प्रकार के संदेशों के आदान–प्रदान के लिए मोबाईल एक वरदान यंत्र हो गया है। मोबाईल का ही एक प्रमुख फीचर है–'**व्हाटसएप**'। इस एप के जरिये 24 घंटे लोग एक–दूसरे से जुड़े रहते है। कुछ तो बातें काम की होती है तो कुछ बेकाम की। यहां हम व्हाटसएप के जरिये हस्तांतरित कुछ संदेशों को उपयोगिता के आधार पर यहां प्रस्तुत कर रहे हैं –*

जीवनोपयोगी बातें

प्र. सुबह उठ कर कैसा पानी पीना चाहिए। **हल्का गर्म**

प्र. पानी पीने का क्या तरीका होता है। **सिप–सिप करके व नीचे बैठकर**

प्र. खाना कितनी बार चबाना चाहिए। **32 बार**

प्र. पेट भर कर खाना कब खाना चाहिए। **सुबह**

प्र. सुबह का नाश्ता कब तक खा लेना चाहिए। **सूरज निकलने के ढाई घण्टे तक**

प्र. सुबह खाने के साथ क्या पीना चाहिए। **जूस**

प्र. दोपहर को खाने के साथ क्या पीना चाहिए। **लस्सी / छाछ**

प्र. रात को खाने के साथ क्या पीना चाहिए। **दूध**

प्र. खट्टे फल किस समय नही खाने चाहिए। **रात को**

प्र. आईसक्रीम कब खानी चाहिए। **कभी नही**

प्र. फ्रिज से निकाली हुई चीज कितनी देर बाद खानी चाहिए। **1 घण्टे बाद**

प्र. क्या कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए। **– नहीं**

प्र. बना हुआ खाना कितनी देर बाद तक खा लेना चाहिए। **40 मिनट**

प्र. रात को कितना खाना खाना चाहिए। **ना के बराबर**

प्र. रात का खाना किस समय कर लेना चाहिए। **सूरज छिपने से पहले**

प्र. पानी खाना खाने से कितने समय पहले पी सकते हैं। **48 मिनट**

प्र. क्या रात को लस्सी पी सकते हैं। **नहीं**

प्र. सुबह खाने के बाद क्या करना चाहिए। **काम**

प्र. दोपहर को खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए। **आराम**

प्र. रात को खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए। **500 कदम चलना चाहिए**

प्र. खाना खाने के बाद हमेशा क्या करना चाहिए। **वज्रासन**

प्र. खाना खाने के बाद वज्रासन कितनी देर करना चाहिए। **5 –10 मिनट**

प्र. सुबह उठ कर आखों मे क्या डालना चाहिए। **मुंह की लार**

प्र. रात को किस समय तक सो जाना चाहिए। **9–10 बजे तक**

प्र. तीन जहर के नाम बताओ। **चीनी, मैदा, सफेद नमक**

प्र. दोपहर को सब्जी में क्या डाल कर खाना चाहिए। **अजवायन**

प्र. क्या रात को सलाद खानी चाहिए **नहीं**

प्र. खाना हमेशा कैसे खाना चाहिए। **नीचे बैठकर व खूब चबाकर**

प्र. क्या विदेशी सामान खरीदना चाहिए। **कभी नही**

प्र. चाय कब पीनी चाहिए। **– कभी नहीं**

प्र. दूध में क्या डाल कर पीना चाहिए। **हल्दी**

प्र. दूध में हल्दी डालकर क्यों पीनी चाहिए। **कैंसर ना हो इसलिए**

प्र. कौन सी चिकित्सा पद्धति ठीक है। **आयुर्वेद**

प्र. सोने के बर्तन का पानी कब पीना चाहिए। **अक्टूबर से मार्च (सर्दियों में)**

प्र. ताम्बे के बर्तन का पानी कब पीना चाहिए। **जून से सितम्बर (वर्षा ऋतु)**

प्र. मिट्टी के घड़े का पानी कब पीना चाहिए। **मार्च से जून (गर्मियों में)**

प्र. सुबह का पानी कितना पीना चाहिए। **कम से कम 2–3 गिलास**

प्र. सुबह कब उठना चाहिए। **सूरज निकलने से डेढ़ घण्टा पहले**

(9229426929)

विदेशी मुद्रा भण्डार 367.76 अरब डालर

भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सितंबर 2016 को कहा कि 2 सितंबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 98.95 करोड़ डॉलर बढ़कर 367.76 अरब डॉलर की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इसमें मुख्य योगदान मुद्रा आस्तियों में अच्छी वृद्धि का है। इससे पूर्व के समीक्षाधीन सप्ताह में कुल मुद्रा भंडार मामूली गिरावट के साथ 39.26 अरब डॉलर था। इससे पूर्व विदेशी मुद्रा भंडार का उच्चतम रिकॉर्ड 367.16 अरब डॉलर था। रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) 95.22 करोड़ डॉलर बढ़कर 342.23 अरब डॉलर की हो गयीं। यह विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉलर में अभिव्यक्त किए जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां विदेशी मुद्राभंडार में जमा यूरो, पौंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं की डॉलर के मुकाबले विनिमय दर में वृद्धि और गिरावट से भी प्रभावित होती हैं। समीक्षाधीन सप्ताह में देश का आरक्षित स्वर्ण भंडार 5.81 करोड़ डॉलर बढ़कर 21.64 अरब डॉलर का हो गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) में विशेष निकासी अधिकार 80 लाख डॉलर घटकर 1.48 अरब डॉलर रह गया जबकि आईएमएफ में देश का मुद्रा भंडार 12.8 करोड़ डॉलर घटकर 2.39 अरब डॉलर रह गया।

चीन में 22,260 कर्मचारियों की छंटनी

चीन के बड़े सरकारी बैंकों ने हजारों कर्मचारियों की छंटनी की है। यह घटना दुनिया की इस दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कमजोरी और बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़े संकट के दौर का संकेतक है। टॉप चार राष्ट्रीय बैंकों ने 22,260 कर्मचारियों की छंटनी की है। इनका मुनाफा इस साल की पहली छमाही में घटा या पिछले स्तर पर बरकरार रहा था। यहां बैंकिंग सेक्टर में 2015 के दौरान 18.7 लाख कर्मचारी थे। आर्थिक तौर पर कमजोरी बरकरार

रहने के बीच चीन ने इस्पात और कोयला उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता की कटौती की भी योजना घोषित की है। इसके कारण 18 लाख कर्मचारियों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। इधर 23 लाख सैनिकों वाली चीन की सेना अगले साल तीन लाख कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है।

जीएसटी को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 8 सितंबर 2016 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

संसोधन बिल को अपनी मंजूरी दे दी। अब यह 1 अप्रैल 2017 से लागू हो जायेगा। देश के 16 राज्यों द्वारा पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति को इसे भेजा गया था। पिछले दिनों ओडिशा विधानसभा ने इसको पास किया था, जिसके बाद 50 फीसदी राज्यों की विधानसभा में इसे पास कराने का जरूरी काम भी पूरा हो गया था। इससे पहले 8 सितंबर 2016 को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया। जीएसटी काउंसिल ही टैक्स और सेस का रेट तय करेगी। संसद ने 8 अगस्त को जीएसटी संशोधन बिल को पास किया था। संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस बिल का 50 फीसदी राज्यों की विधानसभाओं से पास होना जरूरी था।

अब मिलेगा मौसम की सही जानकारी

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने 8 सितंबर 2016 को जीएसएलवी–एफ05 रॉकेट लांच किया। इनसैट–3डीआर एडवांस्ड वेदर सैटेलाइट को ले जा रहा रॉकेट सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लांच पैड से लांच किया गया।

इनसेट–3डीआर 2,211 किलोग्राम की भारी–भरकम सैटेलाइट है। रॉकेट इस सैटेलाइट को जियो–ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा। इसके बाद अपनी प्रणोदन प्रणाली के जरिये सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसकी ऑपरेशनल लाइफ आठ साल की है। सैटेलाइट वेदर फोरकास्ट की एडवांस्ड टेक्निक से लैस है। इसकी मदद से वेदर पैटर्न का अध्ययन किया जाएगा। जीएसएलवी–एफ05 लांच भारत का 10वां जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लांच व्हीकल है। इसे दो से ढाई टन वजनी सैटेलाइट्स को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में इंजेक्ट करने

के लिए तैयार किया गया है।

भारत ने अभी तक जितने भी वेदर फॉरकास्ट सैटेलाइट लांच किए हैं, यह उनमें सबसे एडवांस्ड है। इसमें पुराने सभी सैटेलाइटों की खूबियां डाली गई हैं। यह एडवांस्ड इमेजिंग सिस्टम से लैस है, जो काफी क्लियर इमेज देता है। इसके जरिए रात और कोहरा होने पर भी साफ इमेज ली जा सकेगी। इनसैट 3डीआर को टू–टन क्लास प्लेटफॉर्म टेक्नीक के जरिए तैयार किया गया है। इसमें सोलर पैनल भी लगा है, जो 1700 वॉट पावर प्रोड्यूज करेगा।

इनसैट–3डीआर के ऑर्बिट में पहुंचने का फायदा आम लोगों को भी मिलेगा। यह सैटेलाइट हर 26 मिनट पर पृथ्वी की तस्वीर भेजेगा। इससे मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे किसानों और आम लोगों को फायदा मिलेगा। आपदा और बाढ़ के हालातें से निपटने में यह सैटेलाइट मदद करेगी। आपदा और तूफान आने से पहले यह सैटेलाइट उसको लेकर चेतावनी जारी कर देगी। किन–किन इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं, इसकी जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोगों को मिल पाएगी। इससे समय रहते ऐसे इलाकों में मदद पहुंचाई जा सकेगी।

अटल पेंशन योजना के तहत स्वतः ही होगा पंजीकरण

बीमा नियामक पीएफआरडीए ने एक योजना का प्रस्ताव किया है जिसके तहत नियोक्ता को स्वतः अटल पेंशन योजना के तहत श्रमिकों को पंजीकृत कराना होगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के इरादे से यह प्रस्ताव किया गया है। पीएफआरडीए ने बीमा को दीर्घकालीन जुड़ाव का माध्यम माना। साथ ही अवधारणा पत्र में लंबे समय तक जुड़ाव को लेकर बीमा और स्वास्थ्य कवरेज को प्रोत्साहन के रूप में उपयोग करने का भी प्रस्ताव किया गया है। देश में बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र हैं। करीब 83 प्रतिशत कर्मचारी असंगठित क्षेत्र हैं जहां कोई औपचारिक नियोक्ता–कर्मचारी संबंध नहीं है। साथ ही कई कर्मचारी कृषि क्षेत्र तथा चाय स्टाल जैसे छोटे–छोटे कारोबार के जरिए स्व–रोजगार में लगे हैं। इसमें ठेले, खोमचे वाले, रिक्शा

चलाने वाले, घरों में काम करने वाले तथा चालक भी शामिल हैं। भारतीय पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा, 'ऐसे कर्मचारियों के लिए अनिवार्य योजना संभव नहीं है। एनपीएस लाइट या स्वाबलंबन और अटल पेंशन योजना जैसी स्वैच्छिक योजनाएं हैं जिसमें इस श्रेणी के कर्मचारियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और इसको लेकर उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।' पीएफआरडीए के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि स्वैच्छिक आधार कर्मचारियों को पेंशन देने की व्यवस्था बहुत सफल नहीं है। नियामक ने कहा, 'इस संदर्भ में स्व–पंजीकरण का प्रस्ताव किया गया है ताकि समाज के बड़े तबके को पेंशन के दायरे में लाया जा सके।' ऐसी इकाइयां जहां 19 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें सभी पूर्णकालिक श्रमिकों को एपीवाई (अटल पेंशन योजना) से स्वतः जोड़ना होगा।' अवधारणा पत्र में कहा गया है कि एपीवाई से स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा को जोड़ा जा सकता है।

बिना लाइसेंस और आरसी के चला सकेंगे व्हीकल

अब आप ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के बिना भी अपना व्हीकल चला सकेंगे, आपका चालान भी नहीं कटेगा। इसके लिए बस आपको अपने डॉक्युमेंट्स की कॉपी डिजिटल लॉकर में रखनी होगी। ट्रैफिक पुलिस या अन्य एजेंसियां उन डॉक्युमेंट्स को जरुरत पड़ने पर डिजीलॉकर ऐप के जरिए देख सकेंगे। डिजिटल इंडिया के तहत एनडीए सरकार ने एक और अहम सुविधा डिजिटल लॉकर लांच किया है।

डिजिटल लॉकर के जरिए आपको अपने सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स को एक ही जगह पर डिजीटली स्टोर करने की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा से लाइसेंस, आरसी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अपनी डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स जैसे डॉक्युमेंट्स सेफ रहेंगे।

आधार कार्ड का मुरीद हुआ विश्व बैंक

भारत में पहचान पत्र के तौर पर प्रचलित 'आधार कार्ड' सिस्टम को अब विश्व बैंक से सराहना मिली है। इतना ही नहीं विश्व बैंक ने UIDAI से यह भी कहा है कि वो भारत में अपने अनुभव

अन्य देशों से साझा करे। इस संस्था ने हाल ही में कहा था कि दुनिया भर के डेढ़ अरब लोगों के पास उनकी पहचान के तौर पर कोई भी आधिकारिक, सरकारी या मान्यता प्राप्त प्रमाण नहीं है। इनमें से अधिकांश लोग अफ्रीका और एशिया में रह रहे हैं।

UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि नाइजीरिया ने वर्ल्ड बैंक के तत्वाधान में आधार कार्ड मॉडल का अध्ययन करने के लिए एक टीम भारत भेजने का फैसला किया है। इस मकसद से तंजानिया की एक टीम इसी महीने भारत आ रही है। उन्होंने कहा, "यह सब वर्ल्ड बैंक के आइडेंटिफिकेशन फॉर डिवेलपमेंट (ID4D) अभियान के अंतर्गत हो रहा है। हम नॉलेज एक्सचेंज के जरिए यहां आने वाली टीमों को हर मुमकिन मदद देंगे।"

दरअसल आधार कार्ड को लेकर दुनिया की दिलचस्पी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भारत में सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी डेटाबेस है। वह इस मामले में अफ्रीका और एशिया के कई देशों से काफी आगे है। हालांकि इन देशों के नागरिकों के पास डेटाबेस है, लेकिन वह पेपर बेस्ड रजिस्टर रिकॉर्ड्स तक ही सीमित है। तमाम देश यह जानना चाहते हैं कि कैसे 100 करोड़ से ऊपर का मजबूत बायोमेट्रिक डेटाबेस कैसे तैयार हुआ।

सरकार किसानों से सीधे खरीदेगी दलहन

सरकार ने नाफेड सहित खरीद एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे दलहन की सस्ती आपूर्ति करने और उत्पादकों को समर्थन मूल्य देना सुनिश्चित करने के मकसद से तैयार किए जा रहे बफर स्टॉक के लिए सभी उत्पादक राज्यों के किसानों से तुअर, उड़द और मूंग की सीधी खरीद करें। नाफेड के अलावा लघु कृषक कृषि व्यवसाय परिसंघ (एसएफएसी) तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी दलहनों की खरीद का काम कर रहे हैं। भारत का दलहन उत्पादन फसल वर्ष 2015–16 में उससे पिछले वर्ष के एक करोड़ 71.5 लाख टन से घटकर एक करोड़ 64.7 लाख टन रह गया। सूखे

के कारण पिछले दो फसल वर्षो में दलहनों का उत्पादन कम रहा है जिसके कारण खुदरा कीमतों में तेजी आई है। हालांकि वर्ष 2016–17 में दलहन का उत्पादन बढ़कर दो करोड़ टन हो जाने की उम्मीद है क्योंकि बेहतर मानसून, अधिक बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भारी वृद्धि के कारण किसानों ने अधिक रकबे में इस फसल को लगाया है। केन्द्र सरकार ने कीमत बढ़ने के समय बाजार हस्तक्षेप करने और सस्ते दरों पर दलहनों की आपूर्ति करने के मकसद से आयात के साथ साथ घरेलू खरीद करने के जरिए 20 लाख टन दलहन का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। मौजूदा समय में दलहन की खुदरा कीमत 115 से 170 रुपए किलो के दायरे में है जबकि इसके थोक बिक्री मूल्य में गिरावट आ चुकी है। सरकार को दलहन कीमतों में शीघ्र ही कमी आने की उम्मीद है।

एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर्स को देगी बोनस

लाइफ इन्श्योरेंस कॉरपोरेशन (एलआईसी) अपने पॉलिसी होल्डर्स को वन टाइम बोनस देगा। एलआईसी ने अपने डायमंड जुबली ईयर पर यह ऐलान किया है। पॉलिसी होल्डर्स को हर एक हजार के अश्योर्ड सम पर 5 रुपए से 60 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। एलआईसी की इस घोषणा से करीब 29 करोड़ इनडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स और 12 लाख ग्रुप पॉलिसी होल्डर को फायदा होगा।

पॉलिसी होल्डर को मिलने वाला यह बोनस उनकी पॉलिसी के डयूरेशन पर निर्भर होगा। पुरानी पॉलिसी या जिनकी मेच्योरिटी डेट पास होगी, उन्हें बोनस ज्यादा मिलेगा। जिनकी पॉलिसी नई है, उन्हें बोनस कम मिलेगा। बोनस की मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए के अश्योर्ड सम पर 6 हजार रुपए रखी गई है। वहीं इतनी ही राशि पर मिनिमम बोनस 500 रुपए होगा।

जिनकी पॉलिसी 31 मार्च 2016 तक पूरी हो चुकी है या इस डेट के बाद शुरू हुई है या 1 सितंबर 2016 के बाद शुरू हुई है, सभी को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए एलआईसी ने कट ऑफ डेट सेट की है।

बिजली कटौती की जानकारी एसएमएस से

बिजली कटौती की समस्या से परेशान लोग पहले से अपने इलाके में

होने वाली कटौती की जानकारी एक एसएमएमएस से जान सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए उर्जा मित्र हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है जो पूरे देश में लागू होगा। इस नंबर पर कॉल करके बिजली उपभोक्ता पहले से बनाए गए कटौती के शेडयूल के बारे में पता कर सकेंगे।

बिजली उपभोक्ताओं को 14401 नंबर पर कॉल करना होगा। यह नंबर पूरे देश में काम करेगा। यह एक तरह से अनिवार्य सेवा होगी जिसको सभी ऑपरेटर्स को उपलब्ध कराना होगा। इसके जरिये बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं को बिजली कटौती के बारे में जानकारी दे सकेंगी। दूरसंचार विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि इस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल अखिल भारतीय स्तर पर किया जा सकता है। इसके जरिये सूचना वॉयस कॉल और एसएमएस के जरिये दी जाएगी। यह अनिवार्य सेवा होगी जिसे सभी दूरसंचार आपरेटरों को उपलब्ध कराना होगा।

92 पैसे में मिलेगा 10 लाख का इन्श्योरेंस कवर

इस स्कीम के तहत प्रत्येक क्लास में यात्रा करने वाले यात्री को एक जैसा ही कवर मिलेगा। स्लीपर से लेकर एसी फर्स्ट क्लास के सभी यात्रियों को इन्श्योरेंस कवर लेने पर 92 पैसे ही खर्च करने होंगे। यात्रा के दौरान डेथ हो जाने पर 10 लाख रुपये, पूरी तरह से दिव्यांग हो जाने पर भी 10 लाख रुपये, घायल होने पर अस्पताल में इलाज के लिए 2 लाख रुपये और किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसके शव को घर भेजने के लिए 10 हजार रुपये मिलेंगे। शरीर के किसी एक हिस्से से दिव्यांग होने पर 7.5 लाख रू., गंभीर चोट के कारण हॉस्पिटल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक मिलेगा।

इस स्कीम का लाभ केवल उन भारतीय यात्रियों को मिलेगा जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट बुक कराएंगे। काउंटर से टिकट बुक कराने वाले, विदेशी यात्रियों और एमएसटी टिकट रखने वाले दैनिक यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। पॉलिसी का लाभ केवल यात्रा वाले

दिन उस ट्रेन में यात्रा की अवधि के दौरान ही मिलेगा। यात्रा के दौरान अगर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, ट्रेन के अंदर आतंकी वारदात हो जाती है, पथराव या दंगा हो जाता है, आगजनी की घटना पर पॉलिसी कवर का लाभ मिलेगा।

ईपीएफओ पर ब्याज दर 8.6 फीसदी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के चार करोड़ से अधिक अंशधारकों को मौजूदा वित्त वर्ष में अपनी पीएफ जमाओं पर 8.6 फीसद की दर से ब्याज मिल सकता है। वैसे ईपीएफओ ने 2015–16 के लिए ईपीएफ जमाओं पर 8.8 फीसद की दर से ब्याज दिया है जबकि वित्त मंत्रालय ने 8.7 फीसदी ब्याज दर की पुष्टि की थी। वित्त मंत्रालय चाहता है कि श्रम मंत्रालय ईपीएफ पर

ब्याज दर को अपने अधीन आने वाली अन्य लघु बचत योजनाओं के हिसाब से रखे। दोनों मंत्रालयों में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर 8.6 फीसद पर रखने के लेकर सहमति है।

कॉल ड्रॉपः बीएसएनएल व वोडाफोन में करार

निजी क्षेत्र की टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन व सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल ने 2जी इंट्रा–सर्किल रोमिंग करार किया है। इससे दोनों कंपनियां ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकेंगी। साथ ही उन्हें कॉल ड्रॉप से निपटने में मदद मिलेगी। यह करार अतिरिक्त टावरों की उपलब्धता के दरवाजे खोल देगा। इससे दोनों कंपनियों का कवरेज बढ़ेगा।

कॉल ड्रॉप में कमी आएगी। मोबाइल ग्राहक के लिहाज से बीएसएनएल जून में पांचवें स्थान पर थी। वोडाफोन इंडिया ब्रिटेन के वोडाफोन समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका परिचालन देशभर में है। इसके 19.9 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। इस साल जून के अंत तक बीएसएनएल के पास 8.95 करोड़ ग्राहक थे। ❑❑

संघर्षवाहिनी राष्ट्रीय सम्मेलन

27–28 अगस्त 2016, जमशेदपुर (झारखंड)

दिनांक 27 अगस्त, 2016 को तुलसी भवन के सभागार में संघर्षवाहिनी के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन पूर्वाह्न 10.20 बजे स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा के द्वारा झण्डोत्तोलन के पश्चात् भारत माता, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय एवं दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्र के समीप वैदिक मंत्रोचार के साथ दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि आंदोलन के कठिन रास्ते हैं लेकिन योजना सही तरीके से की जाए तो सफलता निश्चित है। हमने आजतक जितनी भी लड़ाईयां लड़ी है उसमें हमने विजय प्राप्त की है। कारण मंच का उद्देश्य स्पष्ट और जनहित में था। मूलभूत सुविधाओं पर अगर बड़ी कंपनियों का अधिकार हो जायेगा तो आम आदमी का जीना दूभर हो जायेगा।

मंच के अखिल भारतीय संघर्षवाहिनी प्रमुख अन्नदाशंकर पाणिग्रही ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच नेतृत्व के बजाय मुद्दों को महत्वपूर्ण मानकर संघर्ष करता है। वर्तमान केंद्र सरकार के पास अर्थनीति का अभाव है। पिछले एक–डेढ़ वर्षों में देशहित के विरोध में आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा निर्णय हुए। हम आर्थिक आजादी के लड़ाई के पक्षधर हैं।

सम्मेलन में तीन गटशः और दो सामूहिक सत्र सहित पांच सत्र हुए। सामूहिक सत्र में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने आंदोलन में प्रिंट तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की तथा श्रीमती ममता सिंह ने कानूनी पहलू एवं पी.आई.एल. के बारे में जानकारी दी।

श्री अरूण ओझा ने कहा कि वर्ष 1954 में जो पहली आर्थिक नीति बनी वह भारतवर्ष के लिए घातक साबित हुई और तब से लेकर आज तक की सरकारें उसी नीति पर कार्य कर रही है तथा देश का आर्थिक नुकसान हो रहा है। हम विदेशी पूंजी निवेश के खिलाफ नहीं है लेकिन वह किन क्षेत्रों में होनी चाहिए, वह तय करना होगा। जिससे समाज का बड़ा वर्ग बेरोजगार न हो। उन्होंने मंच की ओर से 7 शर्तें रखी–

1. विदेशी पूंजी आने से देश के लघु उद्योग खड़े होने चाहिए एवं उनकी आमदनी बढ़े।
2. भारत के जीडीपी में बढ़ोत्तरी हो।
3. देश में रोजगार सृजन हो।
4. निर्यात बढ़ना चाहिए।
5. तकनीकि आनी चाहिए।
6. सूचनाओं का आदान–प्रदान होना चाहिए।
7. बराबरी के आधार पर व्यापार होना चाहिए।

श्री अरूण ओझा ने संघर्षवाहिनी की अखिल भारतीय टोली की घोषणा की।

टोली प्रमुख–श्री अन्नदाशंकर पाणिग्रही

सदस्य–श्री बंदेशंकर सिंह (पूर्वांचल संघर्षवाहिनी प्रमुख), श्री विकास चौधरी (हरियाणा, दिल्ली के संघर्षवाहिनी प्रमुख), श्री धनंजय भिरे (महाराष्ट्र), श्री वर्गीस थोड्डूपेरंबिल (केरल), श्री चन्द्रमोहन साहू (मध्य प्रदेश), श्री अनिल लोहरी (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), श्री नरेन्द्र परमार (हिमाचल प्रदेश)।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लघु उद्योग भारती, भारतीय मजदूर संघ, विद्या भारती, सेवा भारती, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, औद्योगिक संगठन, गायत्री परिवार, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, योग वेदांत सेवा समिति, वरिष्ठ नागरिक संघ, अधिवक्ता परिषद, आर्ट ऑफ लिविंग, भारतीय जनता पार्टी, जिला परिषद के प्रतिनिधि, पूरन फाउंडेशन, झारखण्ड सरकार के मंत्री तथा शहर के गणमान्य एवं वरिष्ठ लोग काफी संख्या में उपस्थित थे। समापन समारोह में लगभग 400 प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

समापन सत्र का संचालन श्री बंदेशंकर सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन आयोजन समिति के सहसंयोजक राकेश पांडे एवं जिला संयोजक अमित मिश्रा ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन आयोजन समिति के संयोजक राजकुमार साह ने किया। प्रांत भर में आयोजित कार्यक्रमों की सुंदर प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसकी उपस्थित प्रतिनिधियों ने भूरि–भूरि प्रशंसा की। ❏❏